सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2018–19

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721–24 फेक्स : 0294–2411417
ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

SCHEDULED AREA OF RAJASTHAN

(As per Notification of Govt. of India 2018)

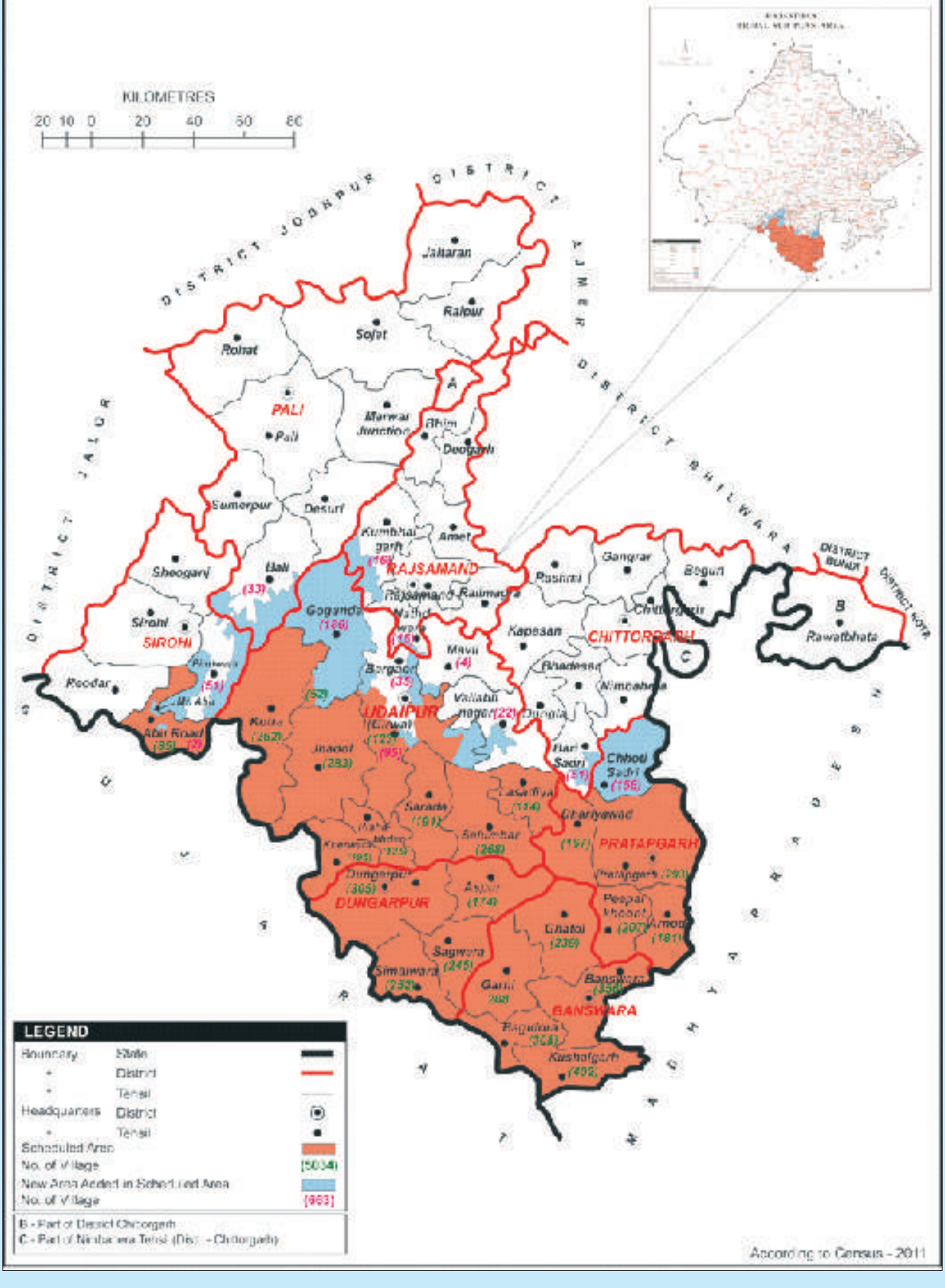

विषय–सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	अनुसूचित जनजातियॉं, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	3–10
2.	जनजाति विकास के प्रमुख कार्यक्रम/योजनाऐं	11–25
3.	जनजाति विकास के लिए विभिन्न योजनाऐं	26–46
4.	माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर	47–49
5.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर	50–55
6.	स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर (स्वच्छ परियोजना)	56–64
7.	अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अधिनियम/ नियम/परिपत्र	65–70

परिशिष्ठ

1.	अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	71
2.	अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.05.2018	72–75
3.	माडा क्षेत्र एवं माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	76–77
4.	बिखरी जनजाति की जनसंख्या का विवरण	78
5.	सहरिया क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	79
6.	राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद नियम, 1980 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 15.06.16	80
7.	विभाग द्वारा संचालित आश्रम एवं बहुउद्देशीय छात्रावासों की सूची	81–94
8.	विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों, खेल छात्रावास, एकलव्य मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल, कॉलेज छात्रावासों में प्रवेश एवं क्षमता का विवरण व सूची	95–97
9.	अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी राजकीय सेवाओं पदो पर सीधी भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों का आरक्षण संबंधी अधिसूचना दिनांक 04.07.2016	98–99
10.	अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्मिकों को 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के कार्मिक को 5 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना दिनांक 04.07.16	100

11.	सम्पूर्ण राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग को देय 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने की विभिन्न विभागों के आदेश की प्रतियां	101–110
12.	सहरिया क्षेत्र में आरक्षण संबंधी कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.05.2013	111–112

अध्याय – 1
अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

स्थापना

भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, इन्ही शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी। जिससे एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये कार्यक्रमों की समग्र नीति निर्माण, योजना, क्रियान्वयन और समन्वय किया जा सकें।

उद्देश्य

विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना एवं अनुसूचित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन कर जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास करना तथा जनजाति वर्ग के जीवन स्तर को उन्नयन करना है।

अनुसूचित क्षेत्र

संविधान की पांचवी अनुसूची के भाग–ग के अनुसार **"अनुसूचित क्षेत्र"** पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है, जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.1981 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है।

अनुसूचित जनजाति

"अनुसूचित जनजातियॉ" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार की गई है, **"ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भागों या समूहों, जिन्हे संविधान के प्रयोजन के लिये अनु. 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियॉ होना समझा जाता है।"**

राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची –

क.सं.	अनुसूचित जनजातियां
1.	भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावें
2.	भील मीना
3.	डामोर, डामरिया
4.	धनका, तडवी, वलवी, तेतारिया
5.	गरासिया (राजपूत, गरासिया को छोडकर)
6.	काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी
7.	कोकना, कोकनी, कूकना
8.	कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
9.	मीना
10.	नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कापडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
11.	पटेलिया
12.	सेहरिआ, सेहारिआ, सहारिया

भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत भारत के निम्न राज्यों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि वर्तमान में उनके मूल अथवा संशोधित रूप में है–

क्र.सं.	राज्य का नाम	अधिसूचना जारी होने की दिनांक	आदेश
1.	आन्ध प्रदेश एवं तेलगांना	26.01.1950 07.12.1950	अनुसूचित क्षेत्र (भाग अ राज्य) आदेश, 1950 अनुसूचित क्षेत्र (भाग ब राज्य) आदेश, 1950
2.	हिमाचल प्रदेश	21.11.1975	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975
3.	गुजरात	31.12.1977	अनुसूचित क्षेत्र (गुजरात) आदेश, 1977
4.	उडीसा	31.12.1977	अनुसूचित क्षेत्र (उडीसा) आदेश, 1977
5.	राजस्थान	12.02.1981 19.05.2018	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान) आदेश, 1981, संशोधित अनु0 क्षेत्र (राजस्थान) आदेश 2018
6.	महाराष्ट्र	02.12.1985	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985
7.	छत्तीसगढ	20.02.2003	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ) आदेश, 2003
8.	मध्यप्रदेश	20.02.2003	अनुसूचित क्षेत्र (मध्यप्रदेश) आदेश, 2003
9.	झारखण्ड	11.04.2007	अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड) आदेश, 2007

जनजाति विकास के लिये निम्नानुसार कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया–

अ. अनुसूचित क्षेत्र

ब. परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)

स. माडा कलस्टर योजना क्षेत्र

द. बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र

य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र

अ. अनुसूचित क्षेत्र

राज्य के दक्षिण में स्थित 8 जिलों की 45 तहसीलों के 5696 ग्रामों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 64.64 लाख है जिसमें जनजाति जनसंख्या 45. 52 लाख है, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 70.42 प्रतिशत है।

अनुसूचित क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 19.5.2018 के पश्चात 8 जिलों में से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ के सम्पूर्ण जिले, उदयपुर, सिरोही, राजसमन्द, चित्तौड़गढ, पाली जिले के आंशिक क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

- **बांसवाडा** जिले की सम्पूर्ण 11 तहसील,
- **डूंगरपुर** जिले की सम्पूर्ण 9 तहसील,
- **प्रतापगढ** जिले की सम्पूर्ण 5 तहसील,
- **उदयपुर** (कुल 14 तहसील)– 9 पूर्ण तहसील क्रमशः कोटडा, झाडोल, (तत्कालीन फलासिया), लसाड़िया, सलुम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, गोगुन्दा, सेमारी तहसील। गिर्वा तहसील की सम्पूर्ण गिर्वा पंचायत समिति, बडगांव तहसील के 35 गांव एवं वल्लभनगर तहसील के 5 गांव, भीण्डर तहसील के 17 गांव व मावली तहसील के 4 गांव।
- **सिरोही** – आबूरोड तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं पिण्डवाडा तहसील के 51 गांव।
- **राजसमन्द** जिले की नाथद्वारा तहसील के 15 गांव व कुम्भलगढ तहसील के 16 गांव।
- **चित्तौडगढ** जिले की बडीसादडी तहसील के 51 गांव
- **पाली** जिले की बाली तहसील के 33 गांव सम्मिलित है।

इस क्षेत्र में आवासित जनजाति में भील, मीणा, गरासिया व डामोर प्रमुख है। तहसीलवार व जिलेवार जनसंख्या तथा क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ठ–1** पर उपलब्ध है ।

अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.05.18 की प्रति **परिशिष्ठ–2** पर संलग्न है।

ब. परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)

अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुडे हुए हो व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो, के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 18 जिलों में 44 माडा लघु खण्डों का गठन किया है, जिसमें 3258 ग्राम सम्मिलित है। 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 29.67 लाख है, जिसमें जनजाति जनसंख्या 15.89 लाख है जो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 53.56 प्रतिशत है। इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है। इस क्षेत्र में मीणा जनजाति का बाहुल्य है। जिलेवार माडा खण्डों की जनसंख्या का विवरण **परिशिष्ठ–3** पर उपलब्ध है।

स. माडा कलस्टर योजना क्षेत्र

ऐसे कलस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है, में माडा कलस्टर योजना लागू की जाकर विकास कार्यक्रम कियान्वित किये जा रहे है। राज्य के 8 जिलों में 11 माडा कलस्टर्स स्वीकृत है जिसमें 159 ग्राम सम्मिलित है। जनगणना 2011 के अनुसार माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या 1.21 लाख है जिसमें से जनजाति जनसंख्या 0.67 लाख है जो कलस्टर्स की कुल जनसंख्या का 55.84 प्रतिशत है। इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा कलस्टर क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है। जिलेवार माडा कलस्टर का विवरण **परिशिष्ठ– 3** पर उपलब्ध है ।

द. बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र

अनुसूचित क्षेत्र, माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 29. 28 लाख जनजाति के व्यक्ति 30 जिलों में बिखरे हुए है । जिलेवार बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र जनसंख्या **परिशिष्ठ–4** पर उपलब्ध है।

य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र

राज्य की एक मात्र आदिम जाति सहरिया है जो बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर सहरिया वर्ग के विकास के लिये सहरिया विकास समिति का गठन किया गया है। सहरिया आदिम जाति की जनसंख्या का विवरण माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा वर्ष 2002 में किये गये सर्वे रिपोर्ट से लिया गया है। सहरिया आदिम जाति क्षेत्र का पंचायत समितिवार विवरण **परिशिष्ठ–5** पर उपलब्ध है ।

जनजातीय विकास कार्यकमों का वित्त पोषण

जनजातीय विकास के लिये निधियॉ निम्नलिखित स्त्रोतों से आती है :–

- राज्य योजना में जनजाति कल्याण निधि
- राज्य योजना प्रवाह
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान
- विशेष केन्द्रीय सहायता
- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना
- सेन्ट्रल सेक्टर योजना

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद (T.A.C.)

संविधान की अनुसूची 5 के पैरा 4 पार्ट बी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है उसमें एक अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का प्रावधान है।

इस परिषद के गठन का उद्धेश्य जनजाति विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करना एवं नई योजनाओं के लिए परामर्श देना है तथा राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देना है जो राज्यपाल उन्हें निर्दिष्ट करें।

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद नियम, 1980 के नियम 3(2) में अधिसूचना दिनांक 15.06.16 से संशोधन किया जाकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पदेन अध्यक्ष एवं मंत्री/राज्यमंत्री जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पदेन उपाध्यक्ष होने का प्रावधान किया गया है। संशोधन किये जाने की अधिसूचना **परिशिष्ठ–6** पर उपलब्ध है।

प्रशासकीय संगठन एवं विभागीय ढाँचा

जनजाति कल्याण एवं विकास के प्रभारी मंत्री जनजाति विकास मंत्री है। कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिये एक प्रशासनिक संगठन आवश्यक है। इसके लिये विभिन्न स्तरों पर जनजाति क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राज्य स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है जिसके प्रशासनिक प्रभारी प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर है। वे जनजाति विकास कार्यक्रमों का समन्वय, समीक्षा एवं प्रबोधन करते है। उनकी सहायता के लिये सचिवालय स्तर पर संयुक्त शासन सचिव एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत है।

जनजाति विकास की योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। इसके विभागाध्यक्ष आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है। आयुक्त की सहायता के लिये 3 अतिरिक्त आयुक्त एवं उप निदेशक (सु.व्य.) पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा विभिन्न विषय विशेषज्ञों के रूप में वित्तीय सलाहकार, निदेशक (सांख्यिकी), संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), संयुक्त निदेशक (कृषि), अधीक्षण अभियन्ता, उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा), उप निदेशक (शिक्षा), 2 उप निदेशक (सांख्यिकी), एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), अधिशाषी अभियन्ता, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), सहायक विधि परामर्शी, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव, खेल अधिकारी तथा 3 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित है।

विभाग में सृजित एवं पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण 31.12.18

क्र.सं.	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	पदस्थापित	रिक्त पद
1	आयुक्त	1	1	0
2	संयुक्त शासन सचिव	1	1	0
3	अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)	1	0	1
4	अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)	1	1	0
5	अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय)	1	1	0
6	निदेशक, टीआरआई	1	1	0
7	निदेशक (सांख्यिकी)	2	2	0
8	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
9	संयुक्त निदेशक (कृषि)	1	1	0
10	अधीक्षण अभियन्ता	1	1	0
11	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)	3	3	0
12	उप निदेशक (सुरक्षात्मक व्यवस्थापन)	1	1	0
13	उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा)	1	1	0
14	उप निदेशक (शिक्षा)	1	1	0
15	उप निदेशक (सांख्यिकी)	3	1	2
16	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)	1	1	0
17	अधिशाषी अभियन्ता	1	1	0
18	परियोजना अधिकारी	5	3	2
19	अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी	1	1	0
20	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1	0
21	सह–आचार्य	1	0	1
22	व्याख्याता	1	1	0
23	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	2	2	0
24	सहायक अभियन्ता	5	1	4
25	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	3	1	2
26	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	1	0	1
27	सहायक विधि परामर्शी	1	1	0
28	निजी सचिव	1	1	0
29	खेल अधिकारी	1	1	0
30	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (बालक)	5	3	2
31	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका)	4	3	1
32	कनिष्ठ अभियन्ता	1	0	1
33	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
34	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
35	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	1	3
36	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	0
37	निजी सहायक	1	1	0
38	कलाकार	1	1	0
39	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1
40	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	11	4	7
41	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	14	2	12
42	अनुसंधान सहायक	11	5	6
43	कनिष्ठ लेखाकार	8	3	5

44	आशु लिपिक	10	5	5
45	प्रोग्रामर	1	1	0
46	सहायक प्रोग्रामर	2	0	2
47	सूचना सहायक	10	2	8
48	वरिष्ठ सहायक	23	16	7
49	कृषि पर्यवेक्षक	2	0	2
50	कम्पाईलर	11	4	7
51	टेलीफोन ऑपरेटर	1	1	0
52	कनिष्ठ सहायक	28	14	14
53	इलेक्ट्रीशियन	1	1	0
54	वाहन चालक	6	3	3
55	जमादार	1	0	1
56	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	49	33	16
57	चौकीदार	5	5	0
58	बागवान	1	1	0
59	फर्राश	3	2	1
	योग	**263**	**146**	**117**

अध्याय – 2

जनजाति विकास के प्रमुख कार्यक्रम/योजनाऐं

1. आश्रम छात्रावासों का संचालन

जनजाति छात्र–छात्राएं उनके निवास स्थान के नजदीक वांछित स्तर का विद्यालय नहीं होने की स्थिति में तथा उनके परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दूर–दराज के विद्यालयों में अध्ययन जारी नहीं रख पाते हैं। अतः ऐसे छात्र–छात्राएं अध्ययन जारी रख सकें, इस उद्देश्य से विभाग द्वारा 367 आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें 23962 छात्र/छात्राओ को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। इन छात्रावासों में 2000/– रू प्रतिमाह प्रति छात्र–छात्रा की दर से निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक एवं अन्य सुविधाऐं उपलब्ध करायी जाती है। आश्रम छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षक एवं कोच को 15 प्रतिशत विशेष भत्ता एवं 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। छात्रावासों में प्रवेश क्षमता की जिलेवार सूची **परिशिष्ठ–7** पर है।

राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, मेवाडा, डूँगरपुर

2. आवासीय विद्यालय संचालन योजना

अनुसूचित, माडा तथा सहरिया क्षेत्र के जनजाति छात्र–छात्राओं में शिक्षा के उन्नयन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक पदों पर शिक्षा विभाग से कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन पर लिये जाकर अध्ययन व्यवस्था संचालित की जा रही है। इन आवासीय विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का पैटर्न संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 13 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें 2600 छात्र/छात्राऐं लाभान्वित हो रहे है। आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को 15 प्रतिशत विशेष भत्ता दिया जा रहा है। आवासीय विद्यालयों की सूची परिशिष्ठ–8 पर संलग्न है।

राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय, खेरवाडा

3. मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में दो मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल, ढीकली जिला उदयपुर (बालिका) एवं सूरपुर जिला डूंगरपुर (बालक) का संचालन किया जा रहा है। दोनों स्कूलों की कुल क्षमता 700 छात्र–छात्रा है जिसके विरूद्ध शिक्षा सत्र 2018–19 में 672 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल, ढीकली, उदयपुर

4. एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल पब्लिक स्कूल संचालन

विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 10, माडा क्षेत्र में 6 एवं सहरिया क्षेत्र में 1 एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल पब्लिक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। उक्त स्कूलों की कुल प्रवेश क्षमता 5370 छात्र–छात्रा के विरूद्ध शिक्षा सत्र 2018–19 में कुल 4772 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। सूची परिशिष्ठ–8 पर संलग्न है।

5. बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन

राज्य की अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो दूर–दराज के क्षेत्र की निवासी है एवं शहर में रहकर पी.एच.डी., नीट (NEET), पी.टी.ई.टी., आई.आई.टी., ए.आई.ई.ई.ई., पी.ई.टी. व प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कमरा किराया लेकर अध्ययन करने में असमर्थ है, उन्हें निःशुल्क आवासीय व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ जिला मुख्यालय उदयपुर में 150 बालिकाओं की क्षमता एवं कोटा, बांरा, डूंगरपुर, बांसवाडा व प्रतापगढ जिला मुख्यालय पर 100–100 बालिकाओं की क्षमता वाले बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। सूची परिशिष्ठ–8 पर संलग्न है।

6 कॉलेज छात्रावासों का संचालन

अनुसूचित क्षेत्र के महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राएं जों दूर–दराज क्षेत्र की निवासी है एवं महाविद्यालय स्थल पर मकान किराये पर लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। ऐसे छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय स्थल पर निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ कॉलेज छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में बांसवाड़ा में 3, डूँगरपुर एवं प्रतापगढ़ में 2–2, कुल 7 कॉलेज छात्रावासों का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिनकी कुल छात्र क्षमता 350 छात्र/छात्राओं की है। इन छात्रावासों में निवासरत् छात्र/ छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आवास, अल्पाहार एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

7. आश्रम छात्रावासों में विशेष कोचिंग योजना

आश्रम छात्रावासों के कक्षा 6 से 12 वीं के छात्र–छात्राओं को आश्रम छात्रावास में ही विषय विशेषज्ञ के माध्यम से कठिन विषयों की कोचिंग कराई जाती है ताकि छात्र–छात्राऐं कठिन विषयों की अच्छी तैयारी कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। कक्षा 10 वीं में अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित तथा कक्षा 12 में कला वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी व ऐच्छिक अंग्रेजी, वाणिज्य वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा

तीनों ऐच्छिक विषय तथा विज्ञान वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा चारों ऐच्छिक विषयों की कोचिंग कराई जाती है।

8. आश्रम छात्रावासों के छात्र–छात्राओं हेतु शैक्षणिक भ्रमण योजना

जनजाति छात्र–छात्राओं को शहरी, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय व आधुनिक ज्ञान उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्रावासों के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराये जाने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान कम से कम राजस्थान के शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर छात्र–छात्राओं को भ्रमण कराते हुए जनजाति छात्र–छात्राओं की जिज्ञासा पूरी करने का प्रयास किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य जनजाति के छात्र–छात्राओं को स्मारकों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना ताकि वे राष्ट्रीय विकास की धारा से रूबरू होकर ज्ञान में सुधार ला सकें और व जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिक बन सके। भ्रमण से उन्हें भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। यह भ्रमण कार्यक्रम सात दिवसीय होता है जिसमें भोजन, नाश्ता के अतिरिक्त छात्र–छात्राओं को दर्शनीय स्थानों का टिकट एवं ठहरने की व्यवस्था, स्टेशनरी, बसों के किराये का प्रावधान किया गया है।

9. छात्रगृह किराया योजना (केवल राजकीय महाविद्यालय/विश्व विद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु)

इस योजनान्तर्गत **अनुसूचित क्षेत्र के** जनजाति के ऐसे छात्र–छात्राऐं जो राजकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढते हैं, उनमें से जिन छात्र–छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और वह किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, उनको इस योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पैटर्न अनुसार मकान किराया की राशि निम्नानुसार पुनर्भरण की जाती है–

क्र. सं.	स्थान	अवधि	दर प्रतिमाह प्रति छात्र–छात्रा	राशि (10 माह की राशि)
1	संभाग मुख्यालय	10 माह तक	500.00	5000.00
2	जिला मुख्यालय	10 माह तक	400.00	4000.00
3	अन्यत्र स्थान	10 माह तक	300.00	3000.00

जिन छात्र–छात्राओं के माता–पिता आयकरदाता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

10. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति

वर्ष 1993–94 से यह योजना प्रारम्भ की गई। जनजाति के ऐसे प्रतिभावान छात्र जिन्होंने राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें राशि रू 350/– प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

11. जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (निजी एवं राजकीय महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए)

जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994–95 में यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राज्य की मूल निवासी हों और महाविद्यालय (सामान्य शिक्षा) में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रू 500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (5000/– रू एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने महाविद्यालय में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो साथ ही आर्थिक सहायता केवल उन्हीं छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता आयकरदाता नहीं हैं। छात्राएं राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

12. जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययन करने वाली जनजाति छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 से यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राज्य की मूल निवासी हों और राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में

नियमित रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रू 350/– प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (3500/– रू एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके माता–पिता आयकरदाता नहीं हैं। छात्राओं के राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही संचालित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहने पर योजना का लाभ देय होगा।

13. जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक चयनित छात्र–छात्राओं को प्रतिष्ठित विद्यालयों/ संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन योजना

सामान्यतया जनजाति छात्र–छात्राऐं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण प्रतिष्ठित एवं अच्छी शिक्षा देने वाले निजी शैक्षिक विद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्य की कतिपय श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थाओं में जनजाति छात्रों को सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अध्ययन कराने एवं इन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिलवाये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गई। उक्त योजना के अन्तर्गत ट्यूशन फीस, आवास, भोजन, पुस्तकें, स्टेशनरी एवं पौशाक आदि हेतु राशि स्वीकृत की जाती है जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

14. निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में जनजाति छात्राऐं जिन्होंने राजकीय विद्यालयों में अध्ययन कर कक्षा 10वीं एवं 12 वीं परीक्षा में प्रथम प्रयास में 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हो, उन्हे विभाग द्वारा निःशुल्क स्कूटी वितरण की जाती है। जिस छात्रा ने कक्षा 10वीं में स्कूटी प्राप्त कर ली है तथा कक्षा 12 वीं मे भी 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो तो उसे स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में राशि रू 20,000/– तथा स्नातक के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमश न्यूनतम 48 प्रतिशत अंक लाने पर राशि रू 10,000/–, 10,000/– नकद दी जाती है। वर्ष 2013–14 से योजना का विस्तार सम्पूर्ण गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी कर दिया गया है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाती है जिनके माता–पिता आयकरदाता नहीं हैं, जो राज्य की मूल निवासी हो तथा जो आगे सामान्य शिक्षा में निरन्तर अध्ययनरत हो।

निःशुल्क स्कूटी वितरण

15. पेयजल योजना

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा 750 से अधिक (जनजाति अनुसूचित क्षेत्र) एवं 1500 से अधिक (गैर–अनुसूचित क्षेत्र) की जनसंख्या वाले ग्रामों में पेयजल सुविधा हेतु पम्प एण्ड टेंक निर्माण की योजना संचालित की जाती है।

जनजाति लोग बिखरी आबादी में छितराऐं हुए रहते है। छितराई आबादी होने से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अधिसंख्य ग्राम जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के इस नार्म्स के अन्तर्गत नहीं आते हैं जिससे उक्त योजना की कियान्विति इन ग्रामों में नहीं कर पाता है। अतः इस प्रकार की वंचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/ढाणियों में पम्प एण्ड टेंक योजना, पाईप्ड योजना, पनघट योजना, ट्युबवेल, ओपनवेल मय ऐसेसरिज (विद्युत कनेक्शन सहित), पाईप लाईन घरो में पेयजल, हैण्डपम्प निर्माण कराया जाता है।

16. जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास

उपयोजना क्षेत्र में जिला मुख्यालय पर छात्र/छात्राओं को बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टेडियम/स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जाता है ताकि जनजाति छात्र/ छात्राओं को राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्पर्धा में भाग ले सके।

17. राजकीय शिक्षण संस्थाओं मे अतिरिक्त कमरों का निर्माण

राजस्थान राज्य मे कई विद्यालय क्रमोन्नत हुए है एवं नवीन महाविद्यालयो की स्थापना हुई है। विगत वर्षो मे महाविद्यालयो मे भी छात्र/छात्राओ के नामांकन मे वृद्वि हुई है एवं सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रो के अनुपात मे कमरे निर्मित नही है। ऐसे राजकीय शिक्षण संस्थाओं मे अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जाता है।

18. जनजाति वर्ग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण एवं विकास

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से उपयोजना क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर दर्शनार्थी के लिए आधारभूत सुविधाओं का निर्माण यथा सामुदायिक भवन, पेयजल, एप्रोच रोड आदि का निर्माण किया जाता है।

19. जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र के नदी नाले एवं बांधों के बैक वाटर में उपलब्ध पानी का सिंचाई हेतु उपयोग करने के उद्देश्य से इस योजना में विद्युत/सौलर मोटर द्वारा पानी को लिफ्ट किया जाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती हैं। योजना का सर्वेक्षण किया जाकर लागत तखमीने तैयार किए जाते है । लागत का 10 प्रतिशत भाग नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों द्वारा वहन किया जाता है एवं 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं । योजना का कियान्वयन मुख्यतयाः स्वच्छ परियोजना द्वारा तकनीकी दक्ष अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। कियान्यन में लाभान्वित काश्तकारों की समिति की भी सहभागिता रहती है। योजना पूर्ण होने पर तीन वर्षो तक कार्यकारी एजेन्सी द्वारा लाभान्वित काश्तकारों की कमेटी के माध्यम से संचालन किए जाने का प्रावधान रखा गया है। तत्पश्चात योजना लाभान्वितो की समिति को संचालन हेतु सौंप दी जायेगी।

विगत वर्षो में निर्मित परन्तु बंद सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार भी इस योजनान्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जा रहा है।

सचिव जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोलर पम्प जलोत्थान सिचांई योजना सत्तु की पादर का अवलोकन करते हुए

20. नहरो का सुदृढ़ीकरण/विस्तार

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र में पूर्व वर्षो में निर्मित वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओ की नहर प्रणालीयॉ क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। जल संसाधन विभाग को इन नहर प्रणालियों के रखरखाव एवं संधारण हेतु राज्य आयोजना मद में पर्याप्त निधियॉ उपलब्ध नहीं होने से इनके रख रखाव/संधारण हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि जनजाति कृषकों के खेतों की सिंचाई निर्बाध रूप से हो ती रहे । इसके अतिरिक्त जिन नहरों के विस्तार हेतु जल संसाधन विभाग के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है उन

नहरों के विस्तार का कार्य भी इस योजनान्तर्गत किया जाता है जिससे अधिकाधिक जनजाति काश्तकार लाभान्वित हो सके एवं सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि हो।

21. जल संग्रहण संरचनाओं (एनिकट) का निर्माण एवं पुनरोद्धार

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र में अवस्थित नदी व नाले भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अत्यधिक ढलान वाले होने से एक ओर तो वर्षा का जल तीव्र गति से बहकर व्यर्थ चला जाता है तथा दूसरी ओर जनजाति कृषकों की नालों के समीप की भूमि का कटाव भी होता है। अतः उक्त क्षति को रोकने एवं वर्षा के पानी के संग्रहण के उदेदश्य से जल संग्रहण ढ़ॉचों (एनिकट इत्यादि) का निर्माण किया जाता है। जल संग्रहण ढांचों के निर्माण से न केवल क्षेत्र के भू–जल स्तर में वृद्धि होती है बल्कि संग्रहित जल का उपयोग काश्तकारों की कृषि भूमि की सिंचाई के काम में भी लिया जाता है। योजनान्तर्गत पूर्व वर्षो में निर्मित जल संग्रहण ढांचों के सम्पूर्ण उपयोग हेतु उनकी मरम्मत/जीर्णोद्धार के कार्य भी कराये जाते है।

22. कुओ का विद्युतीकरण एवं विद्युत पंपसेट वितरण योजना

इस योजनान्तर्गत जनजाति उपयोजना अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. कृषको के सिंचाई साधनो में सुधार करने हेतु उनके निजी कृषि कूप पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा सिंचाई हेतु विद्युत पंपसेट उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु कृषक की स्वयं की कृषि भूमि होना अनिवार्य है। कृषक द्वारा उसकी भूमि पर विगत कम से कम तीन वर्षो से खेती की जा रही हो। कुंए/जल स्त्रोत पर विद्युत कनेक्शन चाहे जाने पर सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि. का जारी डिमान्ड नोट की प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक है। विद्युत कनेक्शन हेतु अधिकतम 10000 एवं विद्युत पंप हेतु अधिकतम 15000 की राशि योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है।

23. खेल छात्रावासों का संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति छात्रों को खेल–कूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिर्स्पधाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर के खेल छात्रावास पैटर्न पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 12 खेल छात्रावास/अकादमियों व एक

बहुउद्देशीय खेल छात्रावास का संचालन किया जा रहा हैं। जिनकी प्रवेश क्षमता 875 छात्र/छात्राओं की है । इस शैक्षणिक सत्र 2018–19 में 6 बालिका खेल छात्रावास में 400 बालिकाएं एवं 7 बालक खेल छात्रावास में 475 कुल 875 बालक/बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है । खेल छात्रावास में सम्पूर्ण राज्य के कक्षा 6 से 12 वीं तक के जनजाति खिलाड़ी बालकों को प्रवेश दिया जाता हैं। छात्रावास में छात्रों का चयन विशिष्ट प्रकार के बेट्री टेस्ट और कौशल परीक्षणों के आधार पर किया जाता हैं। प्रवेशित छात्रों को अनुमोदित पैटर्न अनुसार भोजन, आवास, विद्यालय पोशाक एवं अन्य सहायक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इन खेल छात्रावासों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निकटतम विद्यालयों में नियमित अध्ययन की सुविधा के साथ–साथ खेल छात्रावास की समस्त सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।

खेल छात्रावास, प्रतापगढ़

24. खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

वितीय वर्ष 2018–19 में तीन दिवसीय चतुर्थ राज्य स्तरीय जनजाति छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रतापगढ मुख्यालय पर कराया गया। प्रतियोगिता में वॉलीबोल, कबड्डी, खो–खो, तीरन्दाजी एवं ऐथेलेटिक्स 100 एवं 200 मीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित

क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों व आश्रम छात्रावासों का संयुक्त दल एवं खेल छात्रावासों से एक बालक एवं एक बालिका दल ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया । प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे छात्र–छात्राओं को पुरूस्कार के साथ ही प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित किया गया।

25. जनजाति प्रतिभा खेल सम्मान समारोह आयोजन

विभाग द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है । योजनान्तर्गत जिला स्तर पर प्रथम स्थान, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है । साथ ही कार्यक्रम में सम्मानित छात्र–छात्राओं को समारोह स्थल तक आने–जाने के लिए किराये का भुगतान किया जाता है । इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतापगढ मुख्यालय पर दिनांक 29–09–2018 को कराया जाकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया ।

जनजाति प्रतिभा खेल सम्मान समारोह, प्रतापगढ़

26. बेणेश्वर धाम पर जनजाति छात्र–छात्राओं हेतु खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लिए डूँगरपुर जिले की पंचायत समिति, आसपुर में ग्राम साबला बेणेश्वर धाम में मेले का प्रतिवर्ष आयोजन होता है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के सभी जिलो से जनजाति समुदाय के लोग एकत्रित होकर परम्परागत खेल स्पर्धा के लिए अपने साथ धनुष तीर भी लेकर आते है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, जिला प्रशासन डूँगरपुर एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में मेला स्थल पर पारम्परिक खेलो का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता 3 दिन आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता मुख्यतः एथेलेटिक्स, तीरंदाजी खेल में 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिका वर्ग, 14 वर्ष से ऊपर पुरूष व महिला वर्ग, रस्सा कस्सी पुरूष व महिला वर्ग, गिडा डौट व सतौलिया पुरूष वर्ग में एवं मटका दौड़ केवल महिला वर्ग में आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों में प्रवेश देकर उन्हे प्रचलित खेलो में दक्ष प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहन किये जाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गई है।

आयोजित प्रत्येक खेल व इवेन्ट मे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरूष, महिला प्रतियोगी को क्रमशः 501, 401, 301, 201 रूपये नकद राशि पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाती है। रस्सा कस्सी में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले पुरूष व महिला दल को 2501 व 1501 रूपये पारितोषिक स्वरूप दिये जाते है। गिडा डोट में 9–9 खिलाड़ी व सतोलिया में 7–7 खिलाड़ी तथा रस्सा कस्सी में 9–9 खिलाड़ी भाग लेते। तीरंदाजी में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को अपने अपने तीर कमान साथ लाना अनिवार्य है। गिडाडोट व सतोलिया के प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले को क्रमशः 1001 व 701 रूपये पारितोषिक दिया जाता है।

27. अनुसूचित क्षेत्र के उत्कृष्ट जनजाति खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु नकद राशि

जनजाति प्रतिभावान खिलाडी बालक–बालिकाओं को जो राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते है, प्रोत्साहन

स्वरूप नकद राशि दिये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान/पदक प्राप्त होने पर अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के लिए क्रमशः 0.50, 0.25 व 0.15 लाख तथा राष्ट्रीय स्तर के लिए कमशः 0.25, 0.15 व 0.10 लाख नकद प्रदान किये जाते है। इससे जनजाति प्रतिभावान खिलाड़ी सदैव उत्साहित रहते है एवं उनमें खेल के प्रति लगन बनी रहती है । यह योजना अनुसूचित क्षेत्र के सभी जिलों में संचालित की जा रही है।

28. मानगढ़ धाम, घोटिया आम्बा, भैरव महोत्सव मे जनजाति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकम का आयोजन

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लिए बांसवाडा जिले की पंचायत समिति, आनन्दपुरी, बागीदौरा, तलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में पंचायत समिति अरनोद एवं धरियावद मे प्रतिवर्ष आयोजित मेलो में जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यकम होता है जिसमे अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के छात्र–छात्राए अपने अभिभावको के साथ मेले मे आते है। इसके साथ ही अपने परम्परागत खेल के रूप मे अपने साथ धनुष तीर भी लेकर आते है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, जिला प्रशासन एवं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के संयुक्त तत्वाधान मे मेला स्थल पर तीन दिवसीय पारम्परिक खेलो का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता मुख्यतः एथेलेटिक्स, वालीबाल, कब्बड़ी, फुटबाल, खो–खो तीरंदाजी खेल मे 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिका वर्ग, 14 वर्ष से ऊपर पुरूष व महिला वर्ग, रस्सा कस्सी पुरूष व महिला वर्ग, गिडा डोट व सतौलिया पुरूष वर्ग मे एवं मटका दौड केवल महिला वर्ग मे आयोजित की जाती है एवं विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासो मे प्रवेश देकर उन्हे पारम्परिक खेलो मे दक्ष प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2009–10 से संचालित है। प्रतापगढ़ जिले में आयोजित मेलों में खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यकम वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ किये गये है।

अध्याय – 3

जनजाति विकास के लिए विभिन्न योजनाओं / घोषणाओ की प्रगति

विभाग द्वारा केन्द्रीय सहायता व राज्य सहायता से विभाग के कार्यक्षेत्र कमशः अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, माडा कलस्टर क्षेत्र, बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में विभिन्न योजनाऐं कियान्वित की जा रही है। योजनाओं का उद्देश्य उक्त क्षेत्र में निवासरत जनजाति परिवारों का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास करना है। वर्ष 2017–18 में इन योजनाओं हेतु कुल 502.82 करोड रूपये का संशोधित बजट आबंटन किया गया जिसके विरूद्ध माह मार्च, 2018 तक 503.82 करोड रूपये व्यय किये गये।

वर्ष 2018–19 में इन योजनाओं हेतु कुल 602.46 करोड रूपये का बजट प्रावधान रखा गया जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक 360.69 करोड रूपये व्यय किये गये। मदवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान एवं व्यय की सूचना निम्नानुसार है :–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19	
		संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय दिसम्बर,18 तक
क	राज्य योजना				
1.	जनजाति कल्याण निधि				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	19523.71	20103.94	25708.08	13875.13
ब.	माडा क्षेत्र	2017.31	2251.32	3568.73	1445.98
स.	माडा कलस्टर क्षेत्र	9.65	7.60	13.44	0.29
द.	बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र	751.88	801.51	1438.57	265.82
य.	सहरिया क्षेत्र	4448.75	4979.35	4830.04	2934.71
	योग : जनजाति कल्याण निधि	**26751.30**	**28143.72**	**35558.86**	**18521.93**
2.	विशेष केन्द्रीय सहायता				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	10477.33	8442.22	9044.08	8800.16
ब.	माडा क्षेत्र	442.68	343.19	1171.04	105.24
स.	माडा कलस्टर क्षेत्र		22.22	20.02	0.00
द.	बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र	279.58	263.60	1164.84	67.17
य.	सहरिया विकास परियोजना क्षेत्र	86.60	28.76	100.02	5.43
	योग : विशेष केन्द्रीय सहायता	**11286.19**	**9099.99**	**11500.00**	**8978.00**
3.	संविधान के अनुच्छेद 275(1)				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	9376.84	8608.24	8966.41	6239.00
ब.	गैर अनुसूचित क्षेत्र	983.54	1572.02	2857.74	1180.01
स.	सहरिया क्षेत्र	173.60	174.53	175.85	133.84
	योग : अनुच्छेद 275(1)	**10533.98**	**10354.79**	**12000.00**	**7552.00**

4.	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**				
अ.	टीआरआई की योजनाऐं	169.25	24.20	103.68	16.00
ब.	लघु वन उपज संग्रहण कार्य	15.00	58.79	15.00	0.00
स.	वन बन्धू कल्याण योजना	0.00	64.27	0.02	233.77
द.	आश्रम स्कुल भवन निर्माण	0.00	0.00	0.00	18.23
य.	छात्रावास भवन निर्माण	0.00	1736.91	0.01	359.25
र.	सहरिया विकास परियोजना	1526.00	899.48	1068.62	389.35
	योग : केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	**1710.25**	**2783.65**	**1187.33**	**1016.60**
	महायोग	**50281.72**	**50382.15**	**60246.19**	**36069.38**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

अ. अनुसूचित क्षेत्र

1. जनजाति कल्याण निधि

(i) आश्रम छात्रावास संचालन

योजनान्तर्गत जनजाति विद्यार्थियों को आश्रम छात्रावास में प्रवेश दिया जाकर निःशुल्क आवास, भोजन आदि की सुविधाए प्रदान की जाती है प्रति विद्यार्थी 2000/– रूपये प्रतिमाह भोजन इत्यादि हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2018–19 में 7706.43 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,18 तक 4726.96 लाख रूपये व्यय हुए तथा अनुसूचित क्षेत्र के 259 छात्रावासों में 18381 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–16 में 14206, वर्ष 2016–17 में 16081 एवं वर्ष 2017–18 में 16422 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(ii) खेल छात्रावास का संचालन

जनजाति छात्रों को खेलकूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 13 खेल छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में दक्ष विशेषज्ञों द्वारा तीरन्दाजी एवं ऐथेलेटिक्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें कक्षा 6 से 12 वीं तक के खिलाडी बालकों को प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2018–19 में 577.30 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,18 तक 314.96 लाख रूपये व्यय किया गया है। वर्तमान में इन छात्रावासों में 875 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वर्ष 2015–16 में 646, वर्ष 2016–17 में 725 एवं वर्ष 2017–18 में 875 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(iii) आवासीय विद्यालय संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में बालक/बालिकाओं हेतु जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत 4 आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे है जिसमें आवास, भोजन, शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2018–19 में 1108 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है एवं माह दिसम्बर,18 तक 518.82 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2015–16 में 1020, वर्ष 2016–17 में 1072 एवं वर्ष 2017–18 में 1102 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में बालक/बालिकाओं हेतु जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत 2 मॉडल पब्लिक विद्यालय संचालित किये जा रहे है जिसमें आवास, भोजन, शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2018–19 में 672 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है।

(iv) मॉ–बाड़ी केन्द्र संचालन योजना

यह योजना अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति एवं कथौड़ी समुदाय के शिक्षा से वंचित बच्चों (6 से 12 वर्ष आयु वर्ग) को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये संचालित की जा रही है। वर्ष 2018–19 में 5182.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,18 तक 2431.71 लाख रूपये व्यय हुए तथा 2083 मॉ बाडी केन्द्रों में 62490 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया जा रहा है।

(v) छात्रगृह किराया योजना

इस योजनान्तर्गत जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राऐं जो महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढते है तथा उन्हे छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और वे किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते है, उन्हे सम्भाग मुख्यालय पर 500 रूपये, जिला मुख्यालय पर 400 रूपये एवं अन्य स्थान पर 300 रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह हेतु मकान किराये का पुनर्भरण किया जाता है। इसमें एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती है। छात्र/छात्राऐं अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय है। वर्ष 2018–19 में 764.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,18 तक 827.57 लाख रूपये का पुनर्भरण किया जाकर 16843 विद्यार्थियों को लाभान्वित

किया गया। वर्ष 2015–16 में 16360, वर्ष 2016–17 में 17410 एवं वर्ष 2017–18 में 18443 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(vi) प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन योजना

इस योजनान्तर्गत जनजाति के छात्रों ने जिन्होंने राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है उन्हे बोर्ड की अगली परीक्षा तक अध्ययन करने पर 350 रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए अधिकतम रूपये 3500/– की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2018–19 में 90.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,18 तक 88.07 लाख रूपये रूपये व्यय किया जाकर 2550 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–16 में 1149, वर्ष 2016–17 में 1262 एवं वर्ष 2017–18 में 2176 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन योजना

(vii) छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (महाविद्यालय स्तर)

जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होता है जो राज्य की मूल निवासी हों और राज्य की निजी एवं राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत हों। इस योजनानुसार प्रत्येक छात्रा को 500 रूपये प्रति माह की दर से 10 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2018–19 में 1050.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,18 तक 980.39 लाख रूपये व्यय किया जाकर 24316 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015–16 में 17919, वर्ष 2016–17 में 21791 एवं वर्ष 2017–18 में 23817 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

(viii) छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (कक्षा 11 एवं 12)

जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होता है जो अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी हों एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत हों। इस योजनानुसार प्रत्येक छात्रा को 350 रूपये प्रति माह की दर से 10 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है। है। वर्ष 2018–19 में 594.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर,18 तक रूपये 930.83 लाख व्यय कर 26178 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015–16 में 18106, वर्ष 2016–17 में 21004 एवं वर्ष 2017–18 में 21642 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

(ix) जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण

कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 65 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित करने वाली जनजाति बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क स्कूटी वितरण किये जाने की योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में 30 जनजाति छात्राओं को प्रदान की गई एवं 1640 छात्राओं के आवेदन पत्र अनुमोदित किये गये। वर्ष 2015–16 में 455, वर्ष 2016–17 में 608 एवं वर्ष 2017–18 में 1595 जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण कर लाभान्वित किया गया।

(x) क्षय रोग नियंत्रण

सामान्यतया जनजाति आबादी दूरदराज के क्षेत्र में निवास करती है तथा स्वास्थ्य सुविधाए आसपास उपलब्ध नहीं होती है जनजाति व्यक्तियों में क्षय रोग का प्रकोप अधिक रहता है तथा निदान हेतु नियमित उपचार अनिवार्य होता है किन्तु जनजाति व्यक्ति के लिए कार्य दशाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी के कारण नियमित उपचार लिया जाना संभव नहीं हो पाता है। अतः इस समस्या के निदान हेतु स्वच्छ परियोजना के माध्यम से क्षयरोग नियंत्रण कार्यकम संचालित किया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा क्षय रोगियों की पहचान कर उन्हे नियमित उपचार उपलब्ध कराया जाता है तथा पौष्टिक सत्तु दिया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में 2000.00 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर,18 तक 857.97 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 4686 रोगियों के उपचार कराया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में 10827, वर्ष 2016–17 में 9506 एवं वर्ष 2017–18 में 4293 रोगियों के उपचार कराया गया।

(xi) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

जनजाति के युवकों को रोजगारोन्मुख व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार चलाने अथवा तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से 14 वर्ष की आयु से अधिक के युवकों को इंजीनियरिंग एवं गैर इंजीनियरिंग में एक एवं दो वर्षीय प्रशिक्षण वेल्डर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, हिन्दी एवं अंग्रेजी स्टेनो, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रोनिक्स एवं रेडियो टीवी आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार प्रारंभ करने योग्य बनाया जाता है। प्रशिक्षणरत छात्रों को 150 रूपये प्रतिमाह स्टाईफन्ड दिया जाता है। उत्तीर्ण होने पर राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर,18 तक 5.36 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 556 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।वर्ष 2015–16 में 601, वर्ष 2016–17 में 556 एवं वर्ष 2017–18 में 603 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

(xii) फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण

होटल व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित फूड क्राफ्ट संस्थान के 4 व्यवसायों में जनजाति युवक युवतियों के लिए 40 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रशिक्षणरत छात्र छात्राओं को 500 रूपये छात्रवृति, फीस पुनर्भरण एवं पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। उत्तीर्ण होने पर नेशनल कौसिंल आफ होटल मेनेजमेन्ट, नोएडा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जो कि रोजगार प्राप्ति के लिए मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2018–19 में 34 छात्रो को लाभान्वित किया जा रहा है । वर्ष 2015–16 में 39, वर्ष 2016–17 में 30 एवं वर्ष 2017–18 में 35 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

2. विशेष केन्द्रीय सहायता

(i) कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं

कृषि विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों के तहत फसल बीज मिनीकीट प्रर्दशन कार्यक्रम अर्न्तगत खरीफ/रबी में अधिकतम 0.20 हैक्टयर हेतु कृषकों को प्रमाणित बीज निशुःल्क उपलब्ध कराया जाता है। खरीफ फसलों में सोयाबीन, अरहर व उडद फसल का मिनीकिट क्रमशः 8, 3–4 व 4 किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है। रबी फसल में गेहू एवं जौ का 10 से 20 किलोग्राम एवं चना फसल में 15 किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है। बी टी कॉटन फसल में 0.2 हेक्टयर हेतु 450 ग्राम बी टी कपास बीज का मिनीकिट प्रदान किया जाता है ।

वर्ष 2018–19 में इस हेतु राशि 881.60 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 18 तक 881.60 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 28952 बीपीएल जनजाति परिवारों को खरीफ व रबी फसल में कृषि विकास कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–16 वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में क्रमशः 1.35, 1.94 एवं 1.78 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(ii) उद्यानिकी विकास

जनजाति कृषकों का आर्थिक स्तर उंचा उठाने की दृष्टि से उनके खेतों पर 0.05 हेक्टर में सब्जियों (लहसुन, प्याज, टमाटर, भिण्डी, बैंगन) के उन्नत बीज, खाद एवं कीटनाशक उपलब्ध कराये जा रहे है । वर्ष 2018–19 में 75.00 लाख रूपये के प्रावधान एवं गत वर्षो की बचत राशि के विपरीत माह दिसम्बर,18 तक

102.86 लाख रूपये व्यय किया गया एवं 2412 परिवारो को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–16 में 8595, वर्ष 2016–17 में 15539 एवं वर्ष 2017–18 में 3725 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(iii) पशुपालन कार्यक्रम

जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर उँचा उठाने की दृष्टि से पशुपालन कार्यक्रम के तहत 2 पशुओं को रहने की व्यवस्था, कुट्टी मशीन वितरण, दुग्ध केन वितरण, पशुपालकों को प्रशिक्षण एवं पशु प्रजनन केम्प का आयोजन आदि के माध्यम से क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढाई जाने के उद्देश्य से वर्ष 2018–19 में 200.00 लाख रूपये का प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर,18 तक 412.74 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 34024 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–16 में 1778, वर्ष 2016–17 में 13701 एवं वर्ष 2017–18 में 24398 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(iv) दुग्ध विकास कार्यक्रम

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों की कृषि व्यवसाय के अतिरिक्त पशु पालन एवं दुग्ध व्यवसाय भी आजीविका का मुख्य स्त्रोत है। दुग्ध विकास कार्यक्रम के तहत जिले में कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 द्वारा ग्रामों से दुग्ध संकलन कर डेयरी तक लाया जा रहा है। जनजाति व्यक्तियों की आय बढाने एवं अतिरिक्त दुग्ध क्षमता हेतु गावों में सहकारी समितियों के माध्यम से बल्क मिल्क कूलर स्थापित कर अधिक मात्रा में दुग्ध संकलन कर वहीं ठण्डा कर डेयरी तक लाये जाने से जनजाति दुग्ध उत्पादकों में आय वृद्धि हेतु वर्ष 2014–15 से नवीन योजना प्रारम्भ की गई। वर्ष 2018–19 में 500.00 लाख रूपये का प्रावधान एवं गत वर्षो की बचत राशि के विपरीत माह दिसम्बर,18 तक 59.00 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में कुल 6667 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–16 में 47 बल्क मिल्क कूलर व 35 स्वचालित दूध संग्रह इकाई, 2016–17 में 67 बल्क मिल्क कूलर व 120 स्वचालित दूध संग्रह इकाई एवं 2017–18 में 47 स्वचालित दूध संग्रह इकाई स्थापित की गई।

(v) बैफ के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन

जनजाति कृषकों के पास उपलब्ध पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढाने, अच्छी नस्ल की उत्पति हेतु उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ जिले में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन कर जनजाति व्यक्तियों के पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करना इस योजना का उद्देश्य है। वर्ष 2018–19 में गत वर्षो की बचत राशि के विपरीत माह दिसम्बर,18 तक 108.82 लाख रूपये व्यय कर 8702 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–16 में 4090, वर्ष 2016–17 में 2871 एवं वर्ष 2017–18 में 3164 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(vi) मत्स्य विकास

इस कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालकों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण एवं मत्स्य बीज वितरण आदि हेतु वर्ष 2018–19 में गत वर्षो की बचत राशि के विपरीत माह दिसम्बर,18 तक 25.09 लाख रूपये व्यय किया गया एवं 382 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में 1705 परिवारों को लाभान्वित किया गया ।

(vii) वनीकरण (सुरक्षात्मक एवं जीवनयापन) योजना

वनीकरण योजना के अन्तर्गत वन विभाग के माध्यम से इको टयूरिज्म सुविधाओं का विकास, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, नर्सरी में आधारभूत संरचना/कार्य का निर्माण आदि तथा उत्पादन संवर्धन कार्य हेतु वर्ष 2018–19 में 431.50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है एवं 4300 परिवारों को लाभान्वित किया जावेगा। माह दिसम्बर,18 तक 269.77 लाख रूपये व्यय किया गया। वर्ष 2017–18 में 4312 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(viii) जनजाति कृषकों के कृषि कुओं को गहरा कराने की योजना–

जनजाति उपयोजना क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र) में अनुसूचित जनजाति के बीपीएल कृषकों के अपूर्ण कुओं को महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की राशि से डवटेल कर गहरा कराने की योजना प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत उन्हीं कुओं को लिया गया जो पूर्व में किसी अन्य योजना अथवा स्वयं काश्तकार द्वारा खोदे गये परन्तु उनमें सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी

उपलब्ध नहीं हुआ अथवा अत्यल्प पानी उपलब्ध है। योजना का मुख्य उद्देश्य इन कुओं को गहरा कराकर सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है जिससे कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की जा सकें एव उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

योजनान्तर्गत 19249 कुओ के गहरीकरण की स्वीकृतियां महात्मा गांधी नरेगा की गाइड लाईन्स अनुसार जारी की गई। इनमे से 13827 कार्य प्रारम्भ हुए एवं 5003 कार्य पूर्ण हुए। वर्ष 2018–19 में टीएडी (विशेष केन्द्रीय सहायता) मद अन्तर्गत 1500.00 लाख का प्रावधान रखा गया। माह दिसम्बर,18 तक 1345.60 लाख रू. का व्यय किया गया।

(ix) जलसंग्रहण संरचनाओं (एनिकट) का निर्माण एवं पुनरोद्धार

इस योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में वर्ष 2018–19 में राशि 1400.93 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। माह दिसम्बर,18 तक 1189.61 लाख रूपये का व्यय किया गया एवं 24 एनीकट कार्य पूर्ण किये गये।

(x) नहरो का सुदृढ़ीकरण

अनुसूचित क्षेत्र में नहरों का सुदृढीकरण एवं विस्तार कर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में 750.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। दिसम्बर,18 तक 516.64 लाख रूपये व्यय किये गये है एवं 3 कार्य पूर्ण किए गए है।

(xi) सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का निर्माण व रखरखाव

नदी नालों एवं बांधों के बेक वाटर में उपलब्ध पानी को सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिये विद्युत मोटर द्वारा पानी को ऊंचा उठाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि किये जाने हेतु वर्ष 2018–19 में 400.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया एवं गत वर्ष के स्वीकृत कार्यो पर दिसम्बर,18 तक 1321.63 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 44 एवं वर्ष 2017–18 में स्वीकृत 40 सोलर आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं में से 65 जलोत्थान सिंचाई योजनाओ में सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

(xii) जनजाति स्वरोजगार योजना

राजस संघ द्वारा इस योजना में मुख्य रूप से खादी ग्रामोद्योग सेवा, छोटे व्यवसाय सम्मिलित किये है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु योजना में सम्मिलित इकाईयों के लिए आर्थिक सहायता बैंक ऋण के रूप में प्रदान कराई जावेगी, जिसमें इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000/–रू0 जो भी कम हो अनुदान देने का प्रावधान है। वर्ष 2018–19 में इस हेतु राशि 200.00 लाख रूपये के प्रावधान किया गया एवं 2000 परिवारों को लाभान्वित किया जावेगा। वर्ष 2015–16 में 280, वर्ष 2016–17 में 1258 एवं र्ष 2017–18 में 597 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(xiii) दक्षता विकास कार्यक्रम

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति के युवक/युवतियों को रोजगारपरक लद्यु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय एवं गैर–आवासीय कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 173 मॉड्यूल्स में 33 सेक्टर में विभिन्न पाठ्यक्रम यथा– कम्प्यूटर हार्डवेयर, सिक्यूरिटी, गारमेन्ट मेकिंग, ऑटो मोबाईल सेक्टर, कन्स्ट्रक्शन, फैशन डिजाईनिंग, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, हॉस्पिटिलिटी, इलेक्ट्रिकल्स, एग्रीकल्चर, मेडिकल एण्ड नर्सिंग इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाकर 50 प्रतिशत लाभार्थियों को रोजगार/ स्वरोजगार से जोडा जायेगा। वर्ष 2018–19 में इस हेतु गत वर्षो की बचत राशि से 426.00 लाख रूपये व्यय किये गये एवं माह दिसम्बर,18 तक 2585 युवाओं को लाभान्वित किया गया। 2015–16 में 1795 वर्ष 2016–17 में 1820 एवं वर्ष 2017–18 में 2147 युवाओं को लाभान्वित किया गया।

(xiv) आवश्यक सेवाओं को सड़कों से जोडना

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न जनोपयोगी सेवा केन्द्र विद्यालय, उपकेन्द्र एवं आश्रम छात्रावास दूरस्थ ग्रामों में अवस्थित है, जहॉ पर पहूंच के लिए समुचित सडक/पुलिया व्यवस्था नहीं होने से वर्षा ऋतु में आमजन एवं विद्यार्थियों को इन स्थल पर पहुंचने में असुविधा रहती है। अतः इन संस्थानों/सेवा केन्द्रो को समीपस्थ मुख्य सडक अथवा मुख्य ग्राम से सम्पर्क सडक/पुल से जोड़ने हेतु वर्ष 2018–19 में

राशि 1000.00 लाख रूपये के प्रावधान एवं गत वर्ष की बचत के विपरीत माह दिसम्बर,18 तक 462.23 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 7 सड़क कार्य प्रगति पर है।

3. संविधान का अनुच्छेद 275 (1)

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर,18 तक 6239.00 लाख रूपये व्यय किया गया। विभाग द्वारा 9 आवासीय विद्यालयों का संचालन एवं संस्थापन किया जाकर 2819 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त क्षेत्र में आधारभूत संरचना के कार्य भी किये जा रहे है ।

राज्य योजना से जनजाति उपयोजना में मांग संख्या 30 की प्रगति

जनजाति व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न विभागों द्वारा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है तथा सभी विभागों को अपने बजट में से जनजातियों के विकास हेतु मांग संख्या 30 में प्रावधान रखा जाता है। वर्ष 2018–19 में राज्य योजना में से जनजाति उपयोजना मद मे 14512.83 करोड रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर,18 तक 5091.19 करोड रूपये व्यय किये गये।

विभिन्न मदों में आवंटन एवं व्यय (अन्तरिम) की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत है :–

(राशि लाखों में)

क.सं.	मद	राज्य योजना	
		आवंटन	व्यय (माह दिसम्बर,18 तक)
1	कृषि एवं संबद्व सेवाऐं	90701.86	39101.30
2	ग्रामीण विकास	230256.33	50391.45
3	विशेष क्षेत्रीय परियोजना	4150.00	2026.27
4	सिंचाई	46671.20	23899.71
5	विद्युत	379866.90	76764.13
6	उद्योग एवं खनिज	6739.48	788.00
7	परिवहन एवं संचार	73031.09	45951.19
8	वैज्ञानिक सेवाऐं एवं अनुसंधान	408.93	13.87
9	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाऐं	589882.73	239676.05
10	आर्थिक सेवाऐं	22290.46	29554.72
11	सामान्य सेवाऐं	7284.12	952.64
	योग :	**1451283.10**	**509119.33**

ब. माडा क्षेत्र

1. जनजाति कल्याण निधि

जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 2145.98 लाख रूपये के आवन्टन के विरूद्ध 1912.22 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2017–18 में 2906.90

लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 18 तक 2251.32 लाख रू व्यय किये गये है। वर्ष 2018–19 में 3568.73 लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह दिसम्बर 18 तक 1445.98 लाख रू व्यय किये गये है।

आश्रम छात्रावास संचालन–

वर्ष 2017–18 में 1460.92 लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 18 तक 739. 06 लाख रू व्यय किये गये एवं 4017 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2018–19 में 2007.22 लाख रूपये के आवंटन के विरूद्ध माह दिसम्बर 2018 तक 687.49 लाख रूपये व्यय किये गए एवं 3209 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया। उक्त योजना में वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में कमशः 3534, 4017 एंव 3209 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

शिक्षा प्रोत्साहन–

जनजाति के बालक बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रवृत किये जाने हेतु माडा योजना में संचालित योजनाओं (1) छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन (2) प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (3) जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता के योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जा रहे हैं। वर्ष 2017–18 में उक्त योजनाओं के लिये 352.64 लाख रू प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध मार्च 18 तक 308.15 लाख रू. व्यय किया एवं 1740छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2018–19 में उक्त योजनाओं के लिये 160.00 लाख रू प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2018 तक 36.45 लाख रू. व्यय किया एवं 1203 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। उक्त योजना में वर्ष 2017–18 मार्च 18 एवं वर्ष 2018–19 दिसम्बर 18 में कमशः 1740 एवं 1203 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है

आवासीय विद्यालय–

माडा क्षेत्र में दो आवासीय विद्यालय संचालित है जिसकी प्रवेश क्षमता वर्ष 2017–18 में 480 छात्र/छात्राओं की है जिसके विरूद्ध 417 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया एवं वर्ष 2018–19 में 600 छात्र/छात्राओं की है जिसके विरूद्ध 400 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। उक्त योजना में वर्ष 2017–18 मार्च 18 एवं 2018–19 दिसम्बर 18 में कमशः 417 एव 400 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

2. विशेष केन्द्रीय सहायता

वर्ष 2017–18 (माह मार्च 18) एवं 2018–19 माह दिसम्बर 18 तक

विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में माह मार्च 18 तक 442.68 लाख रू के बजट संशोधित अनुमान के विरूद्ध 343.19 लाख रू व्यय किये गये। वर्ष 2018–19 में 1171.04 लाख रू के बजट प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 18 तक 105.24 लाख रू व्यय किये गये।

कृषि विकास कार्यक्रम

वर्ष 2017–18 में 301.68 लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 18 तक 118.26 लाख रू व्यय किये गये एवं 6761 कृषको को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2018–19 में 210.00 लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह दिसम्बर 18 तक 7.00 लाख रू व्यय किये गये एवं 100 कृषको को लाभान्वित किया गया।

स. माडा कलस्टर योजना

1. जनजाति कल्याण निधि

माडा कलस्टर में वर्ष 2017–18 में रूपये 13.44 लाख के संशोधित अनुमान के विरूद्ध माह मार्च 18 तक 7.60 लाख रूपये व्यय किये गये है। छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 0.05 लाख रूपये व्यय कर 1 छात्रा को लाभान्वित किया गया है। जनजाति छात्राओं को स्कुटी वितरण योजनान्तर्गत 7.20 लाख रूपये व्यय कर 16 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017–18 में रूपये 13.44 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर, 18 तक 0.29 लाख रूपये व्यय किये गये है। छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 0.15 लाख रूपये व्यय कर 5 छात्रा को लाभान्वित किया गया है।

2. विशेष केन्द्रीय सहायता

वर्ष 2017–18 में विशेष केन्द्रीय सहायता में माह मार्च 18 तक 22.22 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2018–19 में विशेष केन्द्रीय सहायता में माह दिसम्बर, 2018 तक 20. 02 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

द. बिखरी जनजाति

1. जनजाति कल्याण निधि

वर्ष 2017–18 में माह मार्च 18 तक 1137.39 लाख रू. के विरूद्व 801.51 लाख रू. व्यय किये गये। आश्रम छात्रावास संचालन योजनान्तर्गत 449.38 लाख के प्रावधान के विरूद्व 264.62 लाख रू. व्यय कर 1109 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 18 तक 1438.57 लाख रू. के विरूद्व 265.82 लाख रू. व्यय किये गये। आश्रम छात्रावास संचालन योजनान्तर्गत 580.46 लाख के प्रावधान के विरूद्व 188.91 लाख रू. व्यय कर 928 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

2. विशेष केन्द्रीय सहायता

वर्ष 2016–17 में माह मार्च 17 तक 442.99 लाख रू व्यय किये गये। वर्ष 2017–18 में माह मार्च 18 तक 279.58 लाख रू. के विरूद्व 263.60 लाख रू. व्यय किये गये। कृषि विकास योजनान्तर्गत 170.58 लाख के प्रावधान के विरूद्व 140.99 लाख रू. व्यय कर 29240 की उपलब्धि प्राप्त की गई। वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर 18 तक 1164.84 लाख रू. के विरूद्व 67.17 लाख रू. व्यय किये गये।

य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र विकास

सहरिया आदिम जनजाति के समुचित विकास के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सहरिया विकास परियोजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं का संचालन कर सहरिया जनजाति के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है। सहरिया आदिम जनजाति के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

जनजाति कल्याण निधि

1. आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियॉ :–

जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक 29 सहरिया आश्रम छात्रावासों का संचालन कर 1444 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा गया है। इन छात्र–छात्राओं को छात्रावास की समस्त सुविधा मुहैया कराई गई है। आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य

शैक्षणिक गतिविधियों में माह दिसम्बर, 2018 तक राशि 652.54 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। छात्रावासवार छात्र क्षमता एवं प्रवेश का विवरण **परिशिष्ठ– 7** पर संलग्न है।

2. मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1 से 5 तक)

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक राशि 50.53 लाख रूपये व्यय कर 17149 सहरिया छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

3. मुफ्त स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फीस वितरण (कक्षा 6 से 12 तक)

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक राशि रूपये 61.04 लाख रूपये व्यय कर 4007 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

4. प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृति

जनजाति कल्याण निधि योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक राशि 3.96 लाख रूपये व्यय कर 66 सहरिया विद्यार्थियों को छात्रवृति की राशि हस्तान्तरित कर लाभान्वित किया जा चुका है।

5. स्कूली शिक्षा हेतु जनजाति छात्राओं को सहायता

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 2018 से दिसम्बर 2018 तक राशि 2.70 लाख रूपये व्यय कर 77 घर से स्कूल जाने वाली जनजाति छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

6. कॉलेज छात्रों को आर्थिक सहायता

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक राशि 90. 96 लाख रू0 व्यय कर 454 महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

7. बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2018 से दिसम्बर 2018 तक राशि 4.80 लाख रूपये व्यय किये जाकर 24 सहरिया प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

8. बी.एड. प्रशिक्षण

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2018 से दिसम्बर 2018 तक राशि 0.60 लाख रूपये व्यय कर 1 सहरिया छात्र को लाभान्वित किया जा चुका है।

9. क्षयरोग नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना

जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत संचालित योजना में जनवरी, 2018 से दिसम्बर 2018 तक राशि 97.31 लाख रूपये व्यय कर 200 सहरिया स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाकर क्षय रोगियों की पहचान कर उपचार करवाया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

10. आवासीय विद्यालय संचालन

योजनान्तर्गत 7 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाकर 1092 सहरिया एवं अन्य अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जाकर इन छात्र–छात्राओं को आवासीय विद्यालय की समस्त सुविधा मुहैया कराई गई है। 7 आवासीय विद्यालयों के संचालन पर जनवरी, 2018 से माह दिसम्बर, 2018 तक 653.96 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। आवासीय विद्यालयवार विद्यार्थी क्षमता एवं प्रवेश का विवरण **परिशिष्ठ – 8** पर संलग्न है।

11. ए.एन.एम. प्रशिक्षण के लिए सहायता

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत संचालित योजना में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक 0.65 लाख रू0 व्यय किये जाकर 20 सहरिया ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

12. पी.एम.टी./पी.ईटी./आईआई.टी. आदि की प्रवेश शुल्क परीक्षा कोचिंग

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक राशि 10.59 लाख रूपये व्यय कर अन्य परीक्षा हेतु शिक्षा विभाग में रीट/पटवारी/पुलिस/लिपिक इत्यादि की तैयारी हेतु सहरिया युवकों ने कोचिंग द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जा चुका है।

13. दुर्घटना, बीमारी मृत्यु इत्यादि पर सहायता

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक राशि 8.70 लाख रूपये व्यय कर 87 सहरिया महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर लाभान्वित किया जा चुका है।

14. सहरिया परिवारों को निःशुल्क घी, तेल एवं दाल वितरण

इस योजना के अन्तर्गत माह अप्रेल, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक इस कार्यालय स्तर से राशि 1335.59 लाख रूपये व्यय किया जाकर लगभग 116927 सहरिया परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क घी, तेल एवं दाल वितरण कर लाभान्वित किया जा रहा है।

15. किचन शेड निर्माण

जनजाति कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत संचालित योजना किचन शेड निर्माण में माह जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक 61.43 लाख रूपये व्यय कर मॉ–बाडी केन्द्रों पर 179 किचन शेड निर्माण कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

16. खैरवा हेतु सहायता योजना

इस योजना के नवीन संचालन हेतु माह दिसम्बर, 2018 में राशि 187.14 लाख रूपये आयुक्त कार्यालय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से प्राप्त हो चुके है। खैरवा परिवार के 10577 व्यक्तियों को निःशुल्क घी, तेल एवं दाल का वितरण लाभार्थियों को पोस मशीन द्वारा किया जाना है। शीघ्र ही राशि व्यय की जावेगी।

विशेष केन्द्रीय सहायता

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में राशि 6.60 लाख रूपये का आवंटन हुआ जिसके विरूद्ध जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक विभिन्न योजनाओं में राशि 6.16 लाख रूपये व्यय किये गये है।

1. स्मार्ट फार्मिंग परियोजना

सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजना स्मार्ट फार्मिंग/बायफ रिडमा योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक राशि

6.16 लाख रूपयें व्यय किये जाकर सहरिया जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया गया है। जिसके अन्तर्गत स्मार्ट फार्मिंग गतिविधि के तहत फल सब्जी आदि के 28 स्थानों पर फार्म स्थापित कर, 78 सहरिया व्यक्तियों को 156 बकरी वितरित एवं 26 एस.एच.जी. का गठन कर 291 सहरियाओं को प्रशिक्षण कराया गया इसके साथ ही प्वाईंट गतिविधि के अन्तर्गत वाटर टेंक एवं स्टेण्ड, बंगला मरम्मत, कॉमन प्लेट फार्म एवं इनफर्टीलिटी केम्प आदि कार्य कर 19 गांवों में सहरिया परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

भारतीय संविधान की धारा 275(1)

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय संविधान की धारा 275 (1) में राशि 206.30 लाख का आवंटन हुआ जिसके विरूद्ध जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक राशि 188.61 लाख रूपये व्यय किया जा चुका है।

1. एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल हनोतिया (शाहबाद)संचालन/संस्थापन

भारतीय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेन्सियल स्कूल हनोतिया (शाहबाद) संचालन/संस्थापन में माह जनवरी, 2018 से माह दिसम्बर, 2018 तक राशि 174.06 लाख रूपये व्यय कर 315 छात्रों को विभिन्न प्रकार की आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान की जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

2. आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में आर.ओ. स्थापित

भारतीय संविधान की धारा 275(1) योजना अन्तर्गत संचालित योजना में माह जनवरी, 2018 से माह दिसम्बर, 2018 तक राशि 0.50 लाख रूपये व्यय कर तीन सहरिया आश्रम छात्रावासों में आर.ओ. स्थापित किये जा चुके है।

3. आश्रम छात्रावास/आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को कोचिंग

इस योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक राशि 8.89 लाख रूपये व्यय कर सहरिया आश्रम छात्रा वासों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के सहरिया छात्र/छात्राओं को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान की कोचिंग का कार्य करवाया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (सी.सी.डी. योजना)

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सी.सी.डी. योजना (पी.टी.जी.) में विभिन्न संचालित योजनाओं में राशि 1360.00 लाख रूपये का आवंटन किया गया, जिसके विरूद्ध जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक संचालित विभिन्न योजनाओं में 741.22 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

1. जन–श्री–बीमा योजना

सी.सी.डी योजना अन्तर्गत संचालित योजना जन श्री बीमा योजना के अन्तर्गत 15000 सहरिया आदिम जनजाति के परिवारों का बीमा करवाया गया है। जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक इस योजना में 16.50 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

2. मॉ–बाडी संचालन

वर्ष 2018–19 में जनजाति कल्याण निधि एवं सी.सी.डी. योजनान्तर्गत संचालित योजना मॉ–बाडी संचालन योजना में 1412.12 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है। जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक 324 मॉ–बाडी केन्द्रों का संचालन करवाया जा रहा है। जिसमें 9520 सहरिया छात्र–छात्राओं को समस्त प्रकार की सुविधाऐं उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

3. सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी

इस योजना के अन्तर्गत 200 सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी (महिला) कार्यरत हैं। सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी (महिला) कार्यकर्ताओं को प्राथमिक उपचार हेतु दवा का किट भी उपलब्ध करवाया जाता है। जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक इस योजना में राशि 38.27 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

4. ड्राप आऊट सहरिया छात्राओं हेतु शिक्षा

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 10 की अनुउत्तीर्ण सहरिया छात्राओं को पुनः शिक्षा से जोडने हेतु शिक्षा दिलाई जाती है। जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक इस योजना में 8.13 लाख रूपये व्यय किये जाकर वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50 छात्राऐं अध्ययनरत है। सहरिया छात्राओं को छात्रावास भोजन इत्यादि पर प्रति माह राशि रूपये 1200/– प्रति छात्र के हिसाब से 10 माह के लिए दी जाती है।

5. आवासीय विद्यालय भवन निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत आवासीय विद्यालय भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक इस योजना में राशि 30.00 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

अध्याय – 4

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

संस्थान के उद्देश्य

संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनजाति विकास के पंचशील के सिद्धांतों को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं की क्रियांविती एवं उनके प्रभावों का मूल्यांकन करना, जनजातियों की भावी विकास जरूरतों की पहचान करना एवं राज्य के जनजाति समुदायों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रगतिशील अध्ययन एवं चिन्तन को प्रोत्साहित करना है।

संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर के नीतिपरक मार्गदर्शन में संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर का मार्गदर्शन तथा दिशा–निर्देशन प्राप्त होता है।

संस्थान के प्रमुख कार्य :–

1. **शोध एवं मूल्यांकन :**

   (अ) मूल्यांकन –

   ग्राम पंचायतों में विकास अंतराल विश्लेषण हेतु सर्वे कार्य कराया गया। जिस पर 2.77 लाख रूपये का व्यय वर्ष 2018–19 में किया गया है।

   (ब) जनजाति शिक्षार्थियों को शोध छात्रवृत्ति :–

   जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को विद्या वाचस्पति उपाधि (Ph.D.) प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिये प्रदान की जाती हैं।

2. **चिकित्सा एवं तकनीकी (नीट/आईआईटी) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग :**

   चिकित्सा एवं तकनीकी अध्ययन में प्रवेश हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से कोचिंग योजना अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र, माडा एवं बिखरी आबादी क्षेत्र के जनजाति छात्र–छात्राओं को चिकित्सा एवं तकनीकी (नीट/आईआईटी) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से करायी जाती है। वित्तीय वर्ष राशि रुपये 130.71 लाख का निम्नानुसार व्यय हुआ :–

क्र.सं.	क्षेत्र	छात्र संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1.	अनुसूचित क्षेत्र	115	63.25
2.	माडा	98	51.55
3.	बिखरी	31	15.91

3. **कार्यशाला एवं प्रशिक्षण :**

जनजाति विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं नवीन चुनौतियों के संदर्भ में संस्थान की ओर से समय–समय पर कार्यशालाऐं, सेमीनार एवं गोष्ठियाँ आयोजित की जाती है।

वर्ष 2018–19 में पेसा अधिनियम की जानकारी हेतु कार्यशाला तथा जनजाति आश्रम छात्रावास के 291 अधीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मद में राशि रुपये 7.66 लाख रूपये का व्यय हुआ।

4. **कला एवं संस्कृति :–**

जनजातीय कला एवं संस्कृति के विविध पहलुओं से गैर जनजाति समाज को अवगत कराने तथा कला एवं संस्कृति को संरक्षण करने की दृष्टि से विविध कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किये जा रहे है।

वर्ष 2018–19 में पारम्परिक नृत्य नाटिका "गवरी" के 6 कार्यक्रम उदयपुर शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आयोजित कर विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करवायी गयी।

तृतीय राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में किया गया तथा राशि रूपये 1.48 लाख व्यय की गयी।

5. **अन्य कोचिंग :**

संस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जा रही है।

6. **पुस्तकालय एवं प्रकाशन :–**

(अ) पुस्तकालय :– संस्थान के पुस्तकालय में जनजाति समुदाय से संबंधित पुस्तकों/ ग्रन्थों का समृद्ध संग्रहण है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर 16225 संदर्भ ग्रन्थ व पुस्तकें उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय के साथ ही संचालित वाचनालय में 135 पत्र–पत्रिकाएँ प्राप्त होती हैं।

(ब) **प्रकाशन सहायता** :– प्रकाशन सहायता योजनान्तर्गत मौलिक पाण्डुलिपियों एवं शोध अध्ययन के प्रकाशनार्थ सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 में 8 पाण्डुलिपियां को प्रकाशन सहायता प्रदान की गयी। 2018–19 में 8 प्रविष्ठियां प्राप्त हुई है।

(स) **विभागीय प्रकाशन** :– संस्थान की ओर से आईएसएनएन पंजीकृत शोध पत्रिका "**ट्राईब**" का प्रकाशन करवाया जाता है। वर्ष 2018–19 में "**ट्राईब**" खण्ड 49 (3–4),50(1) का प्रकाशन करवाया गया। इस मद में राशि रुपये 0. 28 लाख का व्यय किया गया।

अध्याय–5

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर

राजससंघ की स्थापना एवं संगठनात्मक ढांचा

राजस्थान के दक्षिण भाग में रह रहे आदिवासियों के विकास एवं कल्याण हेतु वर्ष 1976 में सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन राजस संघ को शीर्ष संस्था के रूप में पंजीकृत कराकर स्थापना की गयी। एक वर्ष बाद ही सहरिया परियोजना क्षेत्र भी कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र की 37 एवं सहरिया क्षेत्र की 2 कुल 39 पंचायत समितियों में 320 लेम्पस के माध्यम से एवं सीधे राजस संघ द्वारा अपने उद्धेश्य की पूर्ति कर रहा है।

विभागीय प्रशासन

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राज0, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 94 (5)/नियम/76/पार्ट–2/दिनांक 4.12.2004 द्वारा आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

राजससंघ का प्रधान कार्यालय, उदयपुर में स्थित है तथा अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजससंघ के पदेन प्रबन्ध निदेशक है, इनके अधीन राजससंघ प्रधान कार्यालय में महा प्रबन्धक एवं मुख्य लेखाधिकारी पदस्थापित है। राजससंघ में जिला स्तर पर 4 क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं 2 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय यथा क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा एवं बारां तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय प्रतापगढ एवं आबूरोड में अवस्थित है।

राजससंघ में अधिकारी/कर्मचारियों की स्थिति

राजस संघ में दिनांक 31.12.2018 तक कुल 162 स्वीकृत पद है व 60 कार्मिक कार्यरत है। इसमें से 44 राजससंघ में तथा 16 कार्मिक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित आश्रम छात्रावासों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, 102 पद कार्मिकों की सेवा निवृति/निधन से रिक्त हुए है।

राजस संघ की सदस्यता

राजससंघ के कुल 395 सदस्य है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

अ– श्रेणी सदस्य	391	प्राथमिक सहकारी समिति (320 लेम्पस, 71 अन्य)
ब– श्रेणी सदस्य	1	बैंक ऑफ बडौदा
स–श्रेणी सदस्य	1	राजस्थान सरकार
द– श्रेणी सदस्य	2	शीर्ष सहकारी संस्था (राजफेड, कोनफेड)
योग–	395	

विभागीय योजनाऐं –

1. मत्स्य योजनाऐं –

1.1. मत्स्य बीज (स्पान) उत्पादन, एवं विभिन्न तालाबों में संचय

राजससंघ की मत्स्य बीज हेचरी जयसमन्द पर वर्ष 2015–2016 के दौरान 134.00 लाख स्पान, वर्ष 2016–2017 में 263.35 लाख स्पान, वर्ष 2017–2018 में 163.50 लाख स्पान व वर्ष 2018–2019 में 208.50 लाख स्पान उत्पादित कर इन वर्षो में क्रमशः 574, 600, 140 व 343 जनजातियों को बीज वितरण कर लाभान्वित किया गया।

1.2. समेकित मत्स्य विकास परियोजना :

राजससंघ द्वारा उपयोजना क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में समेकित मत्स्य विकास परियोजना के अन्तर्गत छोटे जलाशयों में मछली पालन के माध्यम से स्थानीय जनजाति परिवारों को रोजगार का अतिरिक्त साधन उनके घर के समीप उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजना बांसवाड़ा जिले में वर्ष 2006–2007 व डूंगरपुर तथा उदयपुर जिलों में 2007–2008 से तथा प्रतापगढ़ जिलें में वर्ष 2014–15 से संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत अब तक कुल 175 जलाशयों के 1945 हेक्टर जल क्षेत्र में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य से 1646 स्थानीय जनजाति परिवार जुड़े हुए है।

योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–2016 में 230 जनजाति मछुआरा सदस्यों को प्रशिक्षण, 574 जनजाति मछुआरों को विभिन्न अवस्था के भारतीय मेजर कार्प के मत्स्य बीज वितरण व 427 जनजातियों को प्रोटिनयुक्त मत्स्य आहार वितरित किया गया। इसी योजना की निरन्तरता के क्रम में वर्ष 2016–2017 में 486 जनजातियों को मत्स्य

बीज वितरण, 560 मछुआरों को नाव–जाल वितरण व 44 जलाशयों में मत्स्य तकनीकी उन्नयन के संबंध में पानी मिट्टी गुणवत्ता परीक्षण कर 538 जनजातियों को लाभान्वित किया गया। इसके साथ वर्ष 2017–2018 में 136 जनजातियों को मत्स्य बीज व 212 जनजातियों को नाव–जाल वितरण कर इनके मत्स्याखेट कार्य को सुदृढ किया गया।

चालू वर्ष 2018–2019 के दौरान योजना अनुसार कुल 336 जनजाति लाभान्वित मछुआरों को 48.00 लाख स्पान, 10.43 लाख फ्राई, 3.43 लाख एडवान्स फ्राई व 1. 14 लाख मत्स्य बीज आंगुलिक वितरित कर लाभान्वित किया गया। वर्तमान में योजना कार्य प्रगति पर है।

योजना अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार हैः–

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.स.	गतिविधि	वर्ष			
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (दिस. 2018 तक)
1.	समेकित मत्स्य विकास परियोजना	24.30	51.56	36.62	4.97

1.3. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मत्स्य गतिविधि को बढावा दिए जाने के लिए राजससंघ को भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता मद में मत्स्य विकास कार्यक्रम के लिए कुल राशि राशि रूपये 10.00 करोड़ प्राप्त हुए जिसके अन्तर्गत वर्ष 2015–2016 के दौरान राजससंघ की जयसमन्द हेचरी पर एक प्रजनक पोण्ड निर्माण व एक पोण्ड का लीक प्रुफिंग कार्य, 104 नवीन मत्स्य सहकारी समितियों का गठन कर 3224 जनजाति युवक युवतियों को जोडा गया। योजना की निरन्तरता में वर्ष 2016–2017 के दौरान महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मत्स्य हेचरी विकास एवं सुदृढीकरण, जयसमन्द पर राजससंघ की मत्स्य हेचरी पर एक बीज पालन पोण्ड निर्माण व 374 जनजातियों को विभिन्न मत्स्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी योजना के क्रम में योजना के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 2017–2018 के दौरान जयसमन्द पर जनजाति आवासीय मत्स्य

प्रशिक्षण केन्द्र का भवन निर्माण, चार खुदरा मछली बिक्री दुकान, तेरह बूथ निर्माण, 10 जलाशयों पर दस फिश हेण्डलिंग शेड निर्माण, राजससंघ की जयसमन्द हेचरी पर हेचरी शेड आधुनिकीकरण व भवन मरम्मत निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। इसके साथ ही दो विकेन्द्रीकृत मत्स्य बीज पालन नर्सरी स्थापना, 104 गठित नवीन मत्स्य सहकारी समितियों में से 54 नवीन समितियों का पंजीकरण कार्य पूर्ण व 60 जनजातियों को मत्स्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसी योजना की निरन्तरता में चालू वर्ष 2018–2019 के दौरान पांच स्थलों पर विकेन्द्रीकृत मत्स्य बीज पालन नर्सरी स्थापना कार्य, पुराने नवीन सात नर्सरी लाभान्वितों को स्पान मत्स्य बीज वितरण व 25 जनजातियों को मत्स्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्तमान में योजना कार्य प्रगति पर है।

योजना अन्तर्गत विगत तीन वर्षो की वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है:–

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. स.	गतिविधि	वर्ष			
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (दिस. 2018 तक)
1.	मत्स्य विकास कार्यक्रम (विशेष केन्द्रीय सहायता)	21.98	152.08	186.19	25.09

2 राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (SCA)

2.1 वर्ष 2016–2017 में विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत कृषि विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिये जनजाति क्षेत्र में जनजाति के बी.पी.एल. कृषकों को बीज मिनीकिट्स वितरण के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा राजससंघ को राशि रूपये 8.28 करोड प्राप्त हुए है। कृषि विभाग के माध्यम से उपयोजना क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति के बी.पी.एल. कृषकों को वित्तीय वर्ष 2017–2018 में खरीफ फसल में कपास, उडद, सोयाबीन के 84450 एवं रबी फसल में चना एवं गेहूं के 40800 मिनीकिट्स जिनका कुल मूल्य 7.74 करोड का निःशुल्क वितरण कर 125250 जनजाति कृषकों को लाभान्वित किया गया।

3 जनजाति स्वरोजगार योजना (SCA)

3.1 विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत जनजाति स्वरोजगार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–2016 में स्वीकृत राशि रूपये 200.00 लाख के विरूद्ध वर्ष 2016–2017 एवं 2017–2018 में 1900 बेरोजगार बी.पी.एल. जनजाति युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिये विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाकर राशि रूपये 1900.00 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया।

व्यावसायिक गतिविधियॉं–

1. उपभोक्ता सामग्री वितरण

राजससंघ द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिला रसद विभाग द्वारा संबंधित जिलें में आवंटित तहसील क्षेत्र में नियन्त्रित खाद्यान्न गेहूँ, चावल व चीनी एवं अनियन्त्रित सामग्री के अन्तर्गत नमक एवं चाय वितरण के थोक विक्रेता के रूप में कार्यरत हैं। विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार व्यवसाय किया गया है।

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.स.	गतिविधि	वर्ष			
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (दिस. 2018 तक)
1.	उपभोक्ता सामग्री वितरण	2999.48	3409.64	2063.40	1484.19

2. कृषि उपादान वितरण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राजससंघ द्वारा कृषि आदान वितरण करता है। विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार व्यवसाय किया गया है।

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.स.	गतिविधि	वर्ष			
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (दिस. 2018 तक)
1.	कृषि आदान वितरण	443.44	524.42	1400.00	342.75

3. लघु वन उपज

जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली लघु वन उपजों में मुख्य रूप से रतनजोत, पुवाड़ कणज़ धतूरी, महुआ, पुवाड़, डोलमा, शहद इत्यादि का संग्रहण करवाता है। विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार व्यवसाय किया गया है।

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.स.	गतिविधि	वर्ष			
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (दिस. 2018 तक)
1.	लघुवन उपज	28.48	81.65	4.68	7.95

अध्याय–6

स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर (स्वच्छ परियोजना)

स्वच्छ (स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना) जो कि सीडा व यूनिसेफ के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही थी। स्वच्छ की सफलता व अनुभवो को मद्दे नजर रखते हुए इसके स्वरूप को बनाए रखने के लिये एक जनवरी 1996 से एक स्वयं सेवी संस्था (गैर सरकारी) के रूप में पंजीकृत करवाया गया। वर्तमान मे इसी रूप मे निरन्तर क्रियाशील है।

1. स्वास्थ्यकर्मी योजना

अनुसूचित क्षेत्र मे स्वच्छ द्वारा तपेदिक नियन्त्रण कार्यक्रम वर्ष 1996–97 से क्रियान्वित किया जा रहा है। संभावित क्षय रोगियों की जाचं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक के द्वारा की जाती है तथा डॉट्स पद्धति से उपलब्ध कराई गई दवा स्वच्छ परियोजना के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (स्वास्थ्यकर्मी) द्वारा रोगी को अपनी उपस्थिति में दी जाती है। दवा के अतिरिक्त प्रत्येक क्षय रोगी को उपचार अवधि में पोष्टिक आहार के रूप में 3 कि.ग्रा. सत्तु प्रतिमाह दिया जाता है।

जनजाति क्षेत्र में वर्तमान में स्वच्छ परियोजना द्वारा क्षय रोग नियंत्रण योजना अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास मद में ऐसे गांव एवं फलों में जहां पर चिकित्सा सुविधा का अभाव है स्वास्थ्यकर्मी महिला कार्यरत है। स्वास्थ्यकर्मी का चयन गांव वालो द्वारा उनके

गांव की ऐसी महिला जो गांव में जानकारी रखती है तथा गांव वाले उससे परिचित है का किया जाता है। ये महिला क्षय रोग के संभावित रोगी को चिन्हित कर पास के चिकित्सा केन्द्र पर जांच हेतु ले जा कर बलगम जांच करवाती

है तथा क्षय रोग प्रमाणित होने पर रोगी को देखरेख में डॉट्स पद्धति से उपचार करवाती है। साथ ही स्वास्थ्यकर्मी गांव में अन्य चिकित्सा संबंधी सेवाओं में ए.एन.एम. का सहयोग करती है जैसे कुपोषण, परिवार कल्याण, प्राथमिक उपचार, टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिसेफ के माध्यम से मातृ शिशु एवं बाल पोषण (एम.आई.वाई.सी.एन) कार्यक्रम आदि।

मातृ–शिशु एवं बाल पोषण (एम.आई.वाई.सी.एन) कार्यक्रम

मातृ पोषण हेतु सामुदाय आधारित रणनीति के अन्तर्गत स्वच्छ परियोजना एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर के लसाडिया, सलूम्बर, झाडोल, सराडा, कोटडा/गोगुन्दा, खेरवाडा व आबूरोड में जनजाति बाहुल्य चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ के माध्यम से गर्भावास्था से लेकर बच्चे की दो वर्ष तक की आयु तक उनकी बेहतर देखभाल कर सके।

- गर्भवती महिला एवं बच्चे का 1000 दिवस के दौरान स्वास्थ्य जाचं, वजन, आहार व विशेष परामर्श।
- महिला के गर्भावस्था के 9 माह या 270 दिवस।
- बच्चे के जन्म से 2 वर्ष या 730 दिवस।

मासिक सूचना :

स्वच्छकर्मी अपने क्षेत्र के सभी गर्भवती, धात्री व बच्चों की मासिक सूचना 1000 दिवस रजिस्टर/कार्ड में भरकर ब्लॉक समन्वयकों को उपलब्ध करवा रही है तथा ब्लॉक समन्वयक, कार्यक्रम प्रभारी के द्वारा परियोजना अधिकारी व यूनिसेफ सलाहकार को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में मासिक रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जा रही है।

क्र.सं.	जिला	कुल गांवो की संख्या	वर्तमान में कार्यरत स्वास्थ्य सहयोगी महिला कार्यकर्ता
1	उदयपुर	1370	1359
2	डूँगरपुर	979	840
3	बांसवाड़ा	1487	1404
4	सिरोही	70	70
5	प्रतापगढ़	563	495
	योग	**4469**	**4168**

वर्तमान में जनजाति क्षेत्र में कुल 4168 स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न जिलों में कार्यरत है तथा सहरिया क्षेत्र में कुल 315 स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत है। स्वास्थ्यकर्मी को योजना अनुमोदन अनुरूप मासिक निर्धारित मानदेय एवं यात्रा भत्ता रूपये 2200/– के रूप में दिये जाते है।

वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 4252 मरीजो का उपचार चल रहा है/पूर्ण हो चुका है।

2. माँ–बाड़ी डे–केयर केन्द्रों एवं माँ–बाड़ी केन्द्रों का संचालन

यह योजना स्वच्छ परियोजना द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति/कथौड़ी एवं सहरिया परिवारों के ऐसे बालक/ बालिका जो शिक्षा से वंचित है, के लिये संचालित की जा रही है।

जिला उदयपुर, डूँगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं सिरोही क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदाय के बालक बालिकाऐं जो आयुवर्ग 6 से 12 के है जिस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा (मां–बाड़ी केन्द्र पर कक्षा पहली एवं चौथी की शिक्षा) हेतु 1 से 2 कि.मी. पैदल चल कर जाना होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बालकों को उन्हीं के फले अथवा गांव में मां–बाड़ी केन्द्र संचालित कर शिक्षा से जोड़ना है एवं इन समुदाय की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा करना है। इन मां–बाड़ी केन्द्रों में शिक्षाकर्मी का कार्य करने वाले युवक एवं युवती जनजाति समुदाय के ही होते है। प्रत्येक केन्द्र पर 30 जनजाति बालक/बालिकाओं को नामांकित कर बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन एवं एक समय का अल्पाहार, गणवेश, पाठ्य सामग्री इत्यादि उपलब्ध करायी जाती है। जनजाति समुदाय के बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा जनजाति परिवारों के

बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यूनिसेफ के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में मॉ बाडी संचालन की कार्ययोजना अन्तर्गत यूनिसेफ द्वारा मां बाडी शिक्षा सहायोगियों को नवीन पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षा प्रदाय करने की प्रणाली में दक्ष करने की दृष्टि से प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है। इस क्षेत्र में उदयपुर, डूंगरपुर, बॉसवाडा, आबूरोड के 40 शिक्षाकर्मियों को दक्ष प्रशिक्षक भी बनाया गया है एवम् इसी के साथ शिक्षा विभाग के दक्ष शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त स्वच्छ परियोजना के दक्ष प्रशिक्षक एवं शिक्षा विभाग के चयनित अध्यापकों के माध्यम से नियमित रूप से ब्लॉक स्तर पर अन्य स्वच्छ शिक्षा सहयोगियों को प्रतिमाह पुननिरिक्षण प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

योजना का उद्देश्यः

1. प्रत्येक मॉ–बाड़ी केन्द्र पर जनजाति/ कथौड़ी एवं सहरिया समुदाय के 6 से 12 वर्ष के शिक्षा से वंचित 30 बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु नामांकित करना तथा इसमें बालिकाओं को वरीयता प्रदान करना।
2. इन बालक–बालिकाओं को मॉ–बाड़ी केन्द्र पर नाश्ता एवम् पोषक भोजन उपलब्ध कराना।
3. प्रत्येक बालक–बालिकाओं को पोशाक, जूते, मौजे, टाई, बेल्ट तथा स्वेटर उपलब्ध कराना।
4. खेतीहर मजदूरों के बच्चों का पलायन रोकना तथा अनवरत अध्ययन में सलंग्न करना।
5. अध्ययनरत् बच्चों की माताओं को मॉ–बाड़ी की गतिविधियों से जोड़ना :

–बच्चों के भोजन तैयार करने के लिए 2 जनजाति/ कथौड़ी महिलाओं को प्रत्येक महीने बारी–बारी से दायित्व सौपना और मानदेय देना एवम् स्वयं भोजन करना और बच्चों को भोजन कराना।

–जनजाति/कथौड़ी महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से मॉ–बाड़ी केन्द्र के साथ जोड़ना।

–स्वास्थ्य, स्वच्छता के उत्थान हेतु राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करना।

6. मॉ–बाड़ी केन्द्र जनजाति समुदाय द्वारा चयनित ग्राम विकास समिति के माध्यम संचालित किया जा रहा है। समिति द्वारा ही शिक्षाकर्मी की नियुक्ति की जाती है, जो कि समुदाय

के ही स्थानीय बेरोजगार शिक्षित (आठवीं और उच्च शिक्षित) युवक–युवतियों को अध्यापन हेतु प्राथमिकता दी जाती है।

इस प्रकार इस योजना में आदिवासी, सहरिया, कथौड़ी समुदाय के जनजाति परिवारों के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाकर शिक्षा के पथ पर अग्रसर किया जा सकेगा। आदिवासी परिवारों के बच्चों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।

मॉ बाडी डे–केयर एवं मॉ–बाडी केन्द्र में भिन्नता –

क्र. स	मॉ–बाडी डे–केयर	मॉ–बाडी
1	मॉ बाडी डे–केयर में: 2 शिक्षा सहयोगियों एवं 3 सहायिकाओं का प्रावधान है तथा ये केन्द्र प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुले रखे जाते है। जिससे बालक/बालिकाओं के अभिभावक बालकों को केन्द्र पर छोडकर कृषि/मजदुरी कार्य हेतु निश्चिन्त होकर चले जाते है। डे–केयर केन्द्र पर बालको को पूरे दिवस पौष्टिक आहार , खेल शिक्षण कार्य उनकी रूचि अनुसार कराया जाता है।	मॉ बाडी में 1 शिक्षा सहयोगी एवं 2 सहायिका का प्रावधान है तथा ये केन्द्र शिक्षा विभाग के कलेण्डर के अनुरूप कार्य करते है। सभी मॉ–बाडी केन्द्र जनवरी से दिसम्बर तक निरन्तर खुले रखे जाते है। बालक/बालिकाओं को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का पौषाहार उपलब्ध कराया जाता है।
2	वर्ष 2018–19 में डे–केयर संचालन हेतु प्रति डे–केयर राशि रू 5.54 लाख की दर से प्रावधान रखा गया है।	वर्ष 2018–19 में मॉ बाडी केन्द्र संचालन हेतु प्रति मॉ–बाडी राशि रू 3. 42 लाख की दर से प्रावधान रखा गया है।

इन केन्द्रों पर बालको को प्रातः नाश्ता, दोपहर का भोजन, पाठ्य सामग्री, विद्यालय बैग, गणवेष, जूते, मोजे, टाई, ऊनी जर्सी एवं अन्य केन्द्र पर खेल सामग्री इत्यादि नि.शुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का मुख्य उदेद्श्य क्षेत्र के बालकों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना एवं शिक्षा से जोड़ना है।

माह दिसम्बर 2018 तक 836 डे–केयर एवं 1743 मॉ–बाडी केन्द्रो का संचालन स्वच्छ परियोजना द्वारा ग्राम विकास समितियों के माध्यम से किया जा रहा है।

माँ–बाड़ी डे केयर सेन्टर रूपरेखा–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सहरिया बालको से चर्चा

डे केयर केन्द्र के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से है:–

1. मांबाड़ी डे केयर सेन्टर सुबह 9 बजे से खोले जायेगे तथा शाम 5.00 बजे तक संचालित किये जा रहे है।
2. प्रत्येक मॉ बाड़ी डे केयर सेन्टर में दो शिक्षाकर्मी जिसमें एक महिला तथा एक पुरूष रखी गयी है तथा तीन सहयोगिनियॉ रखी गयी है।
3. प्रत्येक केन्द्र पर 1–4 कक्षा की पढाई की जानी है अतः रखे जाने वाले शिक्षाकर्मी की योग्यता कम से कम 8वीं होना अनिवार्य है विशेष परिस्थितियों में निदेशालय से स्वीकृति लेते हुए रखा गया है।
4. प्रत्येक केन्द्र पर 30 बालक/बालिकाऐं नामांकित किये जाने अनुरूप नामांकित किये गये है।
5. प्रत्येक केन्द्र केवल राजकीय अवकाश पर ही बन्द रहते है शेष समस्त दिनों में मां–बाड़ी डे केयर सेन्टर को खुला रखा जाता है।
6. केन्द्र पर बालक बालिकाओं को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन शाम का नाश्ता व रात्रि भोजन निम्न समय अनुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है।
   - सुबह का आगमन एवं नाश्ता 9.00 बजे
   - दोपहर भोजन 12.00 बजे
   - शाम का नाश्ता 3.00 बजे
   - रात्रि का भोजन 5.00 बजे
7. भोजन उपयुक्त गुणवत्ता का बनाया जाये यह शिक्षाकर्मी/समन्वयक की जिम्मेदारी रहती है।
8. बालक/ बालिकाओं को पढाई के साथ खेल, व्यायाम एवम् मनोरंजन हेतु गीत आदि सिखाये जा कर जिनसे बालकों का मन केन्द्र पर रहने का बना रहता है एवं इसके लिये योजना प्रावधान अनुरूप साधन उपलब्ध करवाये गये है। बालक/बालिकाओं में सफाई के प्रति रूझान रहे एवम् उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे इस हेतु आवश्यकता अनुसार स्नान की व्यवस्था तीनो सहयोगिनियों द्वारा की जाती है जो कि उसी फले एवम् बच्चो की माताओं को योजना प्रावधान अनुरूप लिया गया है।

9. डे केयर सेन्टर संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी गांव की शिक्षा समिति की रहेगी। जिसकी माह के प्रत्येक 18 तारीख को बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें डे केयर सेन्टर से सम्बन्धित समस्त निर्णय लिये जायेगे।

10. बैठक का कार्यवाही रजिस्टर समन्वयक द्वारा प्रत्येक माह परियोजना अधिकारी की बैठक में प्रस्तुत करना होता है तथा परियोजना अधिकारी उनके जिले के समस्त डे केयर सेन्टर की वर्तमान स्थिति की तत्थयातमक रिपोर्ट निदेशालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है जिससे इन समुदाय को अधिक से अधिक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।

डे–केयर सेन्टर स्वच्छ परियोजना द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है इसमें जनजाति/ सहरिया परिवार जो रोजगार हेतु बाहर जाते है उनके बालक/ बालिकाओं को डे केयर सेन्टर पर सुबह 9 बजे से शाम 5.00 बजे तक रखकर पढाई के साथ साथ घर जैसा माहोल उपलब्ध करवाया जाता है जिससे बालक/बालिकाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवम सफाई की आदत हो तथा भविष्य में वह एक सुयोग्य अधिकारी बने। इस कार्य में मुख्य भुमिका शिक्षा सहयोगी तथा महिला सहयोगी की है अतः कमेटी द्वारा योग्य व्यक्ति का चयन किया जाना अति आवश्यक है।

3. माँ–बाडी केन्द्र एवं भवन निर्माण –

जनजाति क्षेत्र उदयपुर, डूँगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में पूर्व में स्वीकृत वर्ष 2017–18 तक सभी मां बाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रति मॉ बाडी केन्द्र निर्माण हेतु 6.60 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है। भवन का निर्माण ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें स्वच्छ परियोजना द्वारा तकनिकी सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।

ग्राम विकास समिति द्वारा किये कार्य का वास्तविक भुगतान किया जाता है।

4. डाईनिंग हॉल निर्माण –

जनजाति उपयोजना क्षेत्र उदयपुर, आबूरोड़, डूँगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में संचालित छात्रावासों में नवीन डाईनिंग हाल की जनजाति विकास विभाग द्वारा योजना 275(1) अन्तर्गत 46 कार्य स्वीकृत किये गये समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

3. खेल सुविधा विकास –

जनजाति क्षेत्र उदयपुर, आबूरोड़, डूँगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ योजना 275(1) अन्तर्गत 165 कार्य में से वर्तमान में लगभग 151 कार्य पूर्ण हो चुके है, 9 कार्य प्रगति पर है। शेष 5 कार्य स्थान उपलब्ध नहीं होने से निरस्त किए गए।

7. हेण्डपंप एवं कुंआ निर्माण –

जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत 2 कुआं निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इस प्रकार हेण्डपंप निर्माण में विषेश केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत 16 हेण्डपंप निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

8. जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुर्नरूद्धार :–

जनजाति उपयोजना एवं अन्य क्षेत्र के नदी नाले एवं बांधों के बैक वाटर में उपलब्ध पानी का सिंचाई हेतु उपयोग करने के उद्देश्य से इस योजना में विद्युत/सौलर मोटर द्वारा पानी को लिफ्ट किया जाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती हैं। योजना का सर्वेक्षण किया जाकर लागत तखमीने तैयार किए जाते है । लागत का 10 प्रतिशत भाग नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों द्वारा वहन किया जाता है एवं 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना का कियान्वयन मुख्यतयाः स्वच्छ परियोजना द्वारा तकनीकी दक्ष अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है। कियान्यन में लाभान्वित काश्तकारों की समिति की भी सहभागिता रहती है। योजना पूर्ण होने पर तीन वर्षो तक कार्यकारी एजेन्सी द्वारा लाभान्वित काश्तकारों की कमेटी के माध्यम से संचालन किए जाने का प्रावधान रखा गया है। तत्पश्चात योजना लाभान्वितो की समिति को संचालन हेतु सौंप दी जायेगी।

विगत वर्षो में निर्मित परन्तु बंद सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुर्नरोद्धार भी इस योजनान्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्याय – 7

अनुसूचित जनजातियों / अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अधिनियम / नियम / परिपत्र

1. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम 2012

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसका उद्धेश्य ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों, जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है, को वन भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देना तथा उन्हें वन अधिकार सौंपना है, के प्रचालन हेतु इसे 31.12.07 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन हेतु अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 को भी दिनांक 1 जनवरी, 2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उद्देश्य जहां एक ओर वन संरक्षण है वहीं दूसरी ओर वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासी, जो वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहें है तथा जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये वन या वन भूमि पर निर्भर है, किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, के वन अधिकारों एवं वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने का है।

यह वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकार और कब्जे को मान्यता देता है, जो कई पीढ़ियों से वनों में रह रहे है। लेकिन उनके अधिकार दर्ज नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त यह वन अधिकार दर्ज कराने के लिए ढांचा भी प्रदान करता है।

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 32,550 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो कि 9.51 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में विद्यमान है। इसके अन्तर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व बारां जिले आते हैं। इसके अतिरिक्त अलवर तथा सवाई माधोपुर

में भी पर्याप्त वन क्षेत्र हैं। उक्त 9 जिलों के 60,06,221 हैक्टर कुल भू–भाग में से 15,78,101 हैक्टर पर वन अवस्थित है जो कि लगभग 26.3 प्रतिशत है।

अधिनियम के तहत प्रदान किये गये मुख्य अधिकार

- निवास के लिए या जीविका के लिये खेती करने (पशु रखने, फसल कटाई क्रियाकलापों, वृक्ष उपज और उत्पात के भण्डारण आदि शामिल) का व्यक्तिगत/सामूहिक उपयोग हेतु वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार (अधिकतम 4 हेक्टर तक की वनभूमि पर वनाधिकार पत्र जारी किया जायेगा)
- वनभूमि पर, गौण वन उत्पादों के संग्रहण, उपयोग व व्ययन का अधिकार
- सामुदायिक वन संसाधनों को संरक्षित व प्रबन्ध करने का अधिकार
- जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से सम्बन्धित बौद्धिक संपदा और पाराम्परिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार

वनाधिकार मान्यता के लिए पात्रता

- अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य/समुदाय, जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते है एवं जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये वन या वनभूमि पर निर्भर है,
- अन्य परम्परागत वन निवासी के ऐसे सदस्य/समुदाय जो 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से वन या वनभूमि में निवास करता रहा है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिये इन पर निर्भर है।

  स्पष्टीकरण 'पीढी' से 25 वर्ष की अवधि अभिप्रेत है।

अधिकारों की मान्यता के लिये वनाधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया

वन अधिकार अधिनियम, 2006 में वनाधिकार पत्र जारी करने के लिये त्रि–स्तरीय प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।

- **ग्राम सभा (प्रथम चरण)** – ग्राम सभा को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और उनका स्वरूप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिये प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है।

ग्राम सभा द्वारा दावे का उपान्तरण या खारिज करने की दशा में ऐसी सिफारिश या विनिश्चय को व्यक्तिगत रूप से दावेदार को संसूचित किया जायेगा।

अगर कोई व्यक्ति ग्रामसभा के प्रस्ताव से असंतुष्ट है तो वह 60 दिवस के भीतर उपखण्ड स्तर समिति को याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

- **उपखण्ड स्तर समिति (द्वितीय चरण)** – उपखण्ड स्तरीय समिति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों की जांच एवं वन अधिकारों का अभिलेख तैयार दावों को जिला स्तर की समिति को अन्तिम विनिश्चय के लिये अग्रेषित करेगी।

  उपखण्ड स्तर की समिति द्वारा दावे का उपान्तरण या खारिज करने की दशा में ऐसी सिफारिश या विनिश्चय को व्यक्तिगत रूप से दावेदार को संसूचित किया जायेगा।

  उपखण्ड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति जिला स्तर की समिति को 60 दिवस के भीतर याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

- **जिला स्तर समिति**– जिला स्तर समिति उसके समक्ष प्रस्तुत उपखण्ड स्तर की समिति द्वारा तैयार किये गए वन अधिकारों के दावो और अभिलेख पर विचार कर अन्तिम रूप से उसका अनुमोदन करेगी।

वन अधिकारों के अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अन्तिम व आबद्धकर होता है।

राजस्थान राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 की प्रगति

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 32,550 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो कि 9.51 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में विद्यमान है। इसके अन्तर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, सिरोही, चित्तौडगढ व बारां जिले आते है। इसके अतिरिक्त अलवर तथा सवाई माधोपुर में भी पर्याप्त वन क्षेत्र है। उक्त जिलों के 60,06,221 हेक्टर कुल भू–भाग में से 15,78,101 हेक्टर पर वन अवस्थित है, जो कि लगभग 26.03 प्रतिशत है।

राजस्थान राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 को तेजी से एवं प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। जिसमें राज्य सरकार काफी हद तक सफल भी रही है।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 लागू होने से दिसम्बर, 2018 तक वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार पत्र जारी किये जाने की स्थिति जिलेवार निम्न है–

क्र.सं.	जिला	जारी अधिकार पत्र		जारी अधिकार पत्रों का क्षेत्रफल	
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	व्यक्तिगत	सामुदायिक
1	बांसवाडा	12444	128	4711.980	82.480
2	प्रतापगढ	7239	0	5453.620	0.000
3	डूंगरपुर	4694	10	3131.080	5.030
4	उदयपुर	8286	9	6648.855	1008.970
5	सिरोही	3128	21	2032.284	5.774
6	राजसमंद	139	0	24.520	0.000
7	बारां	1196	8	831.430	1.980
8	पाली	291	2	222.190	1.000
9	भीलवाडा	207	3	184.740	152.250
10	स0 माधोपुर	0	0	0.000	0.000
11	कोटा	59	0	38.754	0.000
12	झालावाड	23	0	26.520	0.000
13	बून्दी	0	0	0.000	0.000
14	जयपुर	0	0	0.000	0.000
15	चित्तौडगढ	436	0	231.740	0.000
16	टोंक	0	0	0.000	0.000
	योग	**38142**	**181**	**23537.713**	**1257.484**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति अन्तर्गत माह जनवरी, 2018 से माह दिसम्बर, 2018 तक जिलों में कुल 2394 नवीन दावें ग्राम सभा में प्रस्तुत हुए। जिसमें से 914 दावें स्वीकृत कर वनाधिकार पत्र जारी किये गये एवं 489 दावें निरस्त किये गये। वर्तमान में 1829 दावें प्रक्रियाधीन हैं।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दावों के निस्तारण एवं वितरण की माह अगस्त, 2018 तक जारी रिपोर्ट अनुसार राज्य का वनाधिकार दावों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं छतीसगढ़ के पश्चात् राजस्थान का 5 वॉ स्थान हैं तथा दावों के वितरण में राज्य का 7 वॉ स्थान हैं।

2. राजस्थान पंचायतीराज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 एवं नियम, 2011

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, भारत सरकार के पंचायत सशक्तिकरण अभियान के तहत राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 सहित राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों को उनके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने संबंधी उपांतरण) अधिनियम, 1999 एवं राज्य पेसा नियम, 2011 की धरातलीय क्रियान्विति के क्रम में अनुसूचित क्षेत्र के गांव में लगभग 4939 शांति समितियो को गठन किया जाकर बैठक आयोजित की गयी।

3. अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय पदों पर आरक्षण

अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय मूल निवासियो का राजकीय सेवा में प्रतिनिधित्व बढाने के उद्देश्य से कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 से आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया कि "अनुसूचित क्षेत्रों, राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरियता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा"। **(परिशिष्ठ– 9)**

4. अनुसूचित क्षेत्र में राजकीय सेवाओं के पदो पर पदोन्नति में आरक्षण

अनुसूचित क्षेत्र में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के स्तरों पर आरक्षण की समानुपातिक व्यवस्था नहीं होने के कारण राजकीय सेवाओं के पदोन्नति वाले पदो पर अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। अतः अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को भर्ती के अनुपात में पदोन्नति में भी आरक्षण प्रदान किये जाने के लिये कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 से प्रावधान किया गया कि "अनुसूचित क्षेत्रों, राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिको को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिको को 45 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा"। **(परिशिष्ठ– 10)**

5. अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग हेतु शैक्षणिक संस्थाओं एवं प्रवेश परीक्षाओं में आरक्षण

- अनुसूचित क्षेत्र जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों एवं उसने संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में अनुसूचित जनजाति के लिये निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग को 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण दिये जाने का निम्न विभागों के अधीन संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक/स्नातकोत्तर व सर्टिफिकेट/डिप्लोमा एवं प्रवेश परीक्षाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किये जाने की अधिसूचना/आदेश जारी की गई है– **(परिशिष्ठ– 11)**

- चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 26.06.16
- तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16
- पशुपालन विभाग के आदेश दिनांक 04.07.16

6. सहरिया परियोजना क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय पदों पर आरक्षण

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.05.2013 से राज्य के बारां जिले की समस्त तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत पिछडी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत एवं विशेष पिछडा वर्ग की जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। **(परिशिष्ठ–12)**

परिशिष्ठ–1

अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण (नवीन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए)

जनगणना 2011 के अनुसार

क्रम संख्या	जिला	तहसील	कुल ग्राम	कुल जनसंख्या	अनु.जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	बांसवाडा	घाटोल	239	287101	231331	80.57
		गढी	208	298740	173066	57.93
		बांसवाडा	356	458587	306968	66.94
		बागीदोरा	308	373825	318963	85.32
		कुशलगढ	402	379232	342671	90.36
योग			**1513**	**1797485**	**1372999**	**76.38**
2	डूंगरपर	डूंगरपर	305	495423	384981	77.71
		आसपुर	174	224243	119085	53.11
		सागवाडा	245	343232	203272	59.22
		सीमलवाडा	252	325654	276099	84.78
योग			**976**	**1388552**	**983437**	**70.82**
3	प्रतापगढ़	धरियावद	167	189872	149512	78.74
		पीपलखूंट	207	154063	143783	93.33
		अरनोद	181	141023	94932	67.32
		प्रतापगढ़	293	248813	112111	45.06
		छोटीसादडी	155	134077	50089	37.36
योग			**1003**	**867848**	**550427**	**63.42**
4	उदयपुर	गोगुन्दा	237	214948	107220	49.88
		गिर्वा (आंशिक)	252	324814	192034	59.12
		कोटडा	262	230532	220905	95.82
		झाडोल	283	249297	188925	75.78
		लसाडिया	114	91229	80435	88.17
		सलूम्बर	268	248337	132473	53.34
		सराडा	191	231209	147157	63.65
		ऋषभदेव	125	172935	145576	84.18
		खेरवाडा	195	206777	151494	73.26
		मावली (आंशिक)	4	3392	1776	52.36
		वल्लभनगर (आंशिक)	22	17221	10017	58.17
योग			**1953**	**1990691**	**1378012**	**69.21**
5	सिरोही	आबूरोड	85	224404	114360	50.96
		पिण्डवाड़ा (आंशिक)	51	95653	76842	80.33
योग			**136**	**320057**	**191202**	**59.74**
6	राजसमन्द	नाथद्वारा (आंशिक)	15	4591	2312	50.36
		कुम्भलगढ़ (आंशिक)	16	20092	11643	57.95
योग			**31**	**24683**	**13955**	**56.54**
7	चित्तौड़गढ़	बड़ीसादड़ी (आंशिक)	51	21276	14533	68.31
योग			**51**	**21276**	**14533**	**68.31**
8	पाली	बाली(आंशिक)	33	52761	47352	89.75
योग			**33**	**52761**	**47352**	**89.75**
कुल योग			**5696**	**6463853**	**4551917**	**70.42**
राजस्थान				68548437	9238534	13.48
राज्य की तुलना में अनुसूचित क्षेत्र का प्रतिशत				9.43	49.27	

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 2018/वैशाख 29, 1940
No. 325] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 2018/VAISAKHA 29, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

सा.का.नि. 488(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ.270"

अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 को विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के अन्दर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिनिश्चित किया जाता है :—

(1) बांसवाड़ा जिला

(2) डूंगरपुर जिला

(3) प्रतापगढ़ जिला

(4) उदयपुर जिले में निम्नलिखित क्षेत्र :

(क) कोटड़ा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाडिया, सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव तथा गोगून्दा तहसील।

(ख) गिर्वा तहसील में निम्नलिखित क्षेत्र :

(i) गिर्वा ब्लॉक

(ii) निम्नानुसार उल्लिखित बड़गांव ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुन्दर, राठोडों का गुढ़ा, बान्दरवाड़ा, घोडान कलां, घोडान खुर्द और कायलों का गुढ़ा ग्राम,

(II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावाडी, मठाठा, नागदा, झालों का गुढ़ा तथा मुणवास ग्राम,

(III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, करेलों का गुढ़ा तथा सारे ग्राम,

(IV) अम्बेरी ग्राम पंचायत के अम्बेरी, भीलों का बेदला, ओटो का गुढ़ा तथा प्रतापपुरा ग्राम,

(V) ढीकली ग्राम पंचायत के ढीकली तथा बड़ा ग्राम,

(VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोडिया, घसियार तथा डांगियों का हुंदर ग्राम,

(VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बीयाल, कुण्डाल उबेश्वरजी, धार, बडंगा तथा बनादिया ग्राम,

(ग) मावली तहसील के नउवा ग्राम पंचायत के नउवा, खादरा, रायजी का गुढ़ा तथा मारूवास ग्राम

(घ) निम्नानुसार उल्लिखित वल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम:

(i) माल की टूस ग्राम पंचायत के माल की टूस, गोवला, फलेट, टांक और ब्राह्मणों का रोबा ग्राम,

(ii) धावडिया ग्राम पंचायत के धावड़िया, खेड़ाफला, नागलिया, रानी डूंगला और राणिया ग्राम,

(iii) भोपा खेड़ा ग्राम पंचायत के भोपा खेड़ा, बेरीपुरा, हमेरपुरा, फूसरिया और रायला ग्राम,

(IV) कुण्डई ग्राम पंचायत के कुण्डई, भमेला, गोटीपा, कांकरियों का खेड़ा, नाहरपुरा उर्फ नारपुरा, पदमा खेड़ा और संग्रामपुरा ग्राम।

(5) राजसमन्द जिले में निम्नलिखित :

(क) निम्नानुसार उल्लिखित कुंभलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(i) आंतरी ग्राम पंचायत के आंतरी, सन्दूकों का गुढ़ा और बारां ग्राम,

(ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावदा ग्राम,

(iii) ओड़ा ग्राम पंचायत के ओड़ा, दोवास और कोदार ग्राम,

(iv) पीपाना ग्राम पंचायत के पीपाना, जेतारण और देलवाड़िया ग्राम,

(v) बरदड़ा ग्राम पंचायत के बरदड़ा, उदावड़, कलथाना और कोटड़ा ग्राम,

(ख) नाथद्वारा तहसील के कालीवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित ग्राम, अर्थात्:-

कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुढ़ा, गामेठों का नोहरा, दामावड़ी, कोलर, मुंजेला, लीलेरा, रायनिया, श्यामजी का गुढ़ा, सियोल, सोनगरिया और तांतेला ग्राम।

(6) निम्नानुसार उल्लिखित चित्तौडगढ़ जिले में बड़ी सादड़ी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(क) रति चन्दजी का खेड़ा ग्राम पंचायत के आफरों का तालाब, लिंकोड़ा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रूघनाथपुरा, कीटखेड़ा, रती तलाई, रति चन्दजी का खेड़ा, चांदपुरा, सबलपुरा तथा गुन्दलपुर ग्राम,

(ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पारबती, रूपपुरा तथा मरावडिया ग्राम,

(ग) केवलपुरा ग्राम पंचायत के केवलपुरा (ए), केवलपुरा जागीर, रावतपुरा, शिवपुरा, टेगड़ियों का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लछमीपुरा, हरीपुरा, श्यामपुरा, जूनी बड़वाल, कल्याणपुरा तथा केवलपुरा (बी) ग्राम,

(घ) मूंजवा ग्राम पंचायत के मूंजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातामगरी, ढीकडिया खेडी, पूजां का फलियान, पायरी, केशरपुरा, खांखरिया खेड़ी, लालपुरा, काला खेत तथा दीपों का तालाब ग्राम,

(ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरूण्डी, गढ़ बोरूण्डी, संग्रामपुरा, राठोडों का खेड़ा, खेड़ी कलां, खेड़ी खुर्द तथा सुखपुरा ग्राम।

(7) निम्नानुसार उल्लिखित पाली जिले में निम्नलिखित बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(क) आमलिया ग्राम पंचायत के आमलिया, कागदड़ा, ठंडी बेरी, लक्ष्मणपुरा जोड़ और बोथरा ग्राम,

(ख) कूरण ग्राम पंचायत के कूरण, खेतरली, कोलवाडा, कोतीवाडा, कूरण खादरा और खेतरली खाडा ग्राम,

(ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा ग्राम,

(घ) भीमाना ग्राम पंचायत के भीमाना, उपला भीमाना, तणी, उरणा और नाडीया ग्राम,

(ङ) काकराडी ग्राम पंचायत के काकराडी, अरडवा, दानवरली, सांभरवाडा और बेरड़ी ग्राम,

(च) मालनू ग्राम पंचायत के मालनू, हीरोला और लालपुरा ग्राम,

(छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला ग्राम,

(ज) लुन्दाड़ा ग्राम पंचायत के लुन्दाड़ा, चिमनपुरा और मालदर ग्राम,

(झ) कोयलावाव ग्राम पंचायत के कोयलावाव, चिंगटा भाटा और चोपा की नाल ग्राम।

(8) सिरोही जिले में निम्नलिखित :

(क) आबूरोड़ तहसील

(ख) निम्नानुसार उल्लिखित पिण्डवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(i) वरली ग्राम पंचायत के वरली, कुण्डाल, साबेला, वागदरी, ढांगा, कालुम्बरी और पिण्डवाड़ा (ग्रामीण) ग्राम,

(ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस, चीनिया बन्द और भादावेरी ग्राम,

(iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, ठंडी बेरी, सादलवा और मालप ग्राम,

(iv) घरट ग्राम पंचायत के घरट, मालेरा, नवावास, गड़िया और पहाड़ कलां ग्राम,

(v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, आपरी खेड़ा और कालाबोर ग्राम,

(vi) माण्डवाड़ा खालसा ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा खालसा, खोखरी खेड़ा और वारकी खेड़ा ग्राम,

(vii) सनवाड़ा ग्राम पंचायत के सनवाड़ा, सदा फली, नवावास देव, नवावास खालसा और सेमली ग्राम,

(viii) ईसरा ग्राम पंचायत के ईसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा ग्राम,

(ix) वालोरिया ग्राम पंचायत का वालोरिया ग्राम,

(x) माण्डवाड़ा देव ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा देव, पीटारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी ग्राम,

(xi) भूला ग्राम पंचायत का भूला ग्राम,

(xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कासीन्दा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नं. 2 और कोटरा ग्राम,

(xiii) बसन्तगढ़ ग्राम पंचायत का बसन्तगढ़ ग्राम,

(xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दरला पादर ग्राम।

3. राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, चाहे वह किसी भी नाम से उपदर्शित हो, के पूर्वगामी पैरा में किसी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के राज्यक्षेत्रीय प्रभाग के प्रति निर्देश है।

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति।

[फा.सं.1(31)/2017-वि.1]
डॉ.रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

माडा लघुखण्डो की जनसंख्या का विवरण

(जनगणना 2011 के अनुसार)

कम संख्या	जिला	माडा लघुखण्ड का नाम	ग्रामो की संख्या	कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	अलवर	1. राजगढ–अलवर	131	156839	81399	51.90
		2. थानागाजी	60	40344	22045	54.64
		3. लक्ष्मणगढ	28	41471	21419	51.65
		योग	**219**	**238654**	**124863**	52.32
2	धोलपुर	4. बसेरी–बारी	68	69729	40211	57.67
		योग	**68**	**69729**	**40211**	**57.67**
3	भीलवाडा	5. जहाजपुर–माण्डलगढ	205	137506	72436	52.68
		योग	**205**	**137506**	**72436**	**52.68**
4	बून्दी	6. बून्दी	56	50671	24322	48.00
		7. बून्दी–केशोरायपाटन	56	49306	25201	51.11
		8. हिण्डौली–बून्दी	40	43040	21187	49.23
		9. केशोरायपाटन	35	29557	15992	54.11
		10. नैनवा–बून्दी–हिण्डौली	65	49143	26068	53.05
		योग	**252**	**221717**	**112770**	**50.86**
5– 6	चित्तोडगढ एवं प्रतापगढ	11. बडीसादडी–छोटीसादडी	29	17792	8266	46.46
		12. बेगूं	118	52827	28211	53.40
		13. बेगूं–चित्तोडगढ	72	21321	9806	45.99
		योग	**219**	**91940**	**46283**	**50.34**
7– 8	जयपुर एवं दौसा	14. लालसोट–चाकसू–दौसा–बसवा	421	385783	211822	54.91
		15. जमवारामगढ–चाकसू–बस्सी – दौसा–सांगानेर–आमेर	274	288776	164335	56.91
		16. सिकराय–बसवा	76	118127	64168	54.32
		योग	**771**	**792686**	**440325**	**55.55**
9	झालावाड	17. अकलेरा	125	65393	41039	62.76
		18. झालरापाटन–खानपुर	116	54571	34634	63.47
		योग	**241**	**119964**	**75673**	**63.08**
10– 11	कोटा एवं बारां	19. अटरू–छीपबडोद–छबडा	36	24390	12686	52.01
		20. छीपबडोद	50	32801	22618	68.96
		21. पीपल्दा–मांगरोल–दिगोद	108	75311	39098	51.92
		22. छबडा	53	27042	16651	61.57
		23. रामगंजमण्डी–लाडपुरा	44	26869	11797	43.91
		24. बारां–मांगरोल–सांगोद	26	19753	11040	55.89
		योग	**317**	**206166**	**113890**	**55.24**
12	पाली	25. बाली	5	23546	4201	57.86
		योग	**5**	**23546**	**4201**	**57.86**

13–14	सवाईमाधो पुर एवं करौली	26. बामनवास–गंगापुर	40	36348	21303	58.61
		27.बामनवास	41	43255	24654	57.00
		28. गंगापुर–करौली	26	39048	21488	55.03
		29. नाडोती–हिण्डोन	30	46604	22661	48.62
		30. हिण्डोन–टोडाभीम	39	65824	34679	52.68
		31. करौली	40	55111	26272	47.67
		32. करौली–सपोटरा–बोंली	77	104606	59233	56.62
		33. महुवा	58	66426	37899	57.05
		34. बोंली	70	81264	43122	53.06
		35. सवाईमाधोपुर–खण्डार	80	123686	67328	54.43
		36. टोडाभीम–नाडोती–महुवा	75	119989	64453	53.72
		योग	**576**	**782161**	**423092**	**54.09**
15	सिरोही	37. पिण्डवाडा–सिरोही–रेवदर	10	17109	9073	53.03
		योग	**10**	**17109**	**9073**	**53.03**
16	टोंक	38. देवली–टोडारायसिंह–टोंक	61	49815	25795	51.78
		39. निवाई	71	46876	26208	55.91
		40. उनियारा	74	48841	28453	58.26
		41. उनियारा–टोंक	40	18044	9963	55.22
		योग	**246**	**163576**	**90419**	**55.28**
17–18	उदयपुर एवं राजसमंद	42. गिर्वा–नाथद्वारा–मावली	22	38228	13150	34.40
		43. गोगुन्दा–कुम्भलगढ–नाथद्वारा	21	20653	10995	53.24
		44. वल्लभनगर	86	43115	11504	26.68
		योग	**129**	**101996**	**35649**	**34.95**
		महायोग	**3258**	**2966750**	**1588885**	**53.56**
नोट– इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्लस्टर क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है।						

माडा क्लस्टर की जनसंख्या का विवरण (जनगणना 2011 के अनुसार)

क्रम संख्या	जिला	माडा क्लस्टर का नाम	ग्रामो की संख्या	कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	बून्दी	1. केशोरायपाटन	32	15730	9266	58.91
2	कोटा	2. दिगोद	19	11386	5526	48.53
3	बारां	3. अटरू–बारां	9	7720	4267	55.27
4	झालावाड	4. खानपुर	13	8636	4781	55.36
		5. अकलेरा (पू.)	32	25406	15131	59.56
		6. अकलेरा (द.)	12	9834	6574	66.85
		योग	**45**	**34042**	**19912**	**58.49**
5	अजमेर	7. केकडी	11	9714	5272	54.27
6	राजसमंद	8. नाथद्वारा–राजसमंद	19	8358	4429	52.99
7	भरतपुर	9. वैर (उ.)	11	14366	7891	54.93
		10. वैर (द.)	4	11210	5632	50.24
		योग	**15**	**25576**	**13523**	**52.87**
8	सवाईमाधोपुर	11खण्डार	9	8272	5256	63.54
महायोग			**159**	**120798**	**67451**	**55.84**

नोट–इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्लस्टर क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है।

बिखरी जनजाति की जनसंख्या का विवरण

(जनगणना 2011 के अनुसार)

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	माडा क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	माडा कलस्टर क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	सहरिया क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या'	बिखरी हुई जनजाति की जनसंख्या''
1	गंगानगर	13477	0	0	0	0	13477
2	हनुमानगढ	14289	0	0	0	0	14289
3	बीकानेर	7779	0	0	0	0	7779
4	चुरू	11245	0	0	0	0	11245
5	झुन्झनू	41629	0	0	0	0	41629
6	अलवर	289249	0	124863	0	0	164386
7	भरतपुर	54090	0	0	13523	0	40567
8	धोलपुर	58594	0	40211	0	0	18383
9	करौली	324960	0	206370	0	0	118590
10	सवाई माधोपुर	285848	0	176727	5256	0	103865
11	दौसा	433344	0	291984	0	0	141360
12	जयपुर	527966	0	188336	0	0	339630
13	सीकर	75349	0	0	0	0	75349
14	अजमेर	63482	0	0	5272	0	58210
15	टोंक	178207	0	90419	0	0	87788
16	जैसलमेर	42429	0	0	0	0	42429
17	जोधपुर	118924	0	0	0	0	118924
18	नागौर	10418	0	0	0	0	10418
19	पाली	144578	0	31381	0	0	113197
20	बाडमेर	176257	0	0	0	0	176257
21	जालोर	178719	0	0	0	0	178719
22	सिरोही	292470	19202	9073	0	0	92915
23	भीलवाडा	229273	0	72436	0	0	156837
24	राजसमन्द	160809	13955	14458	4429	0	127963
25	उदयपुर	1525289	137802	21191	0	0	126086
26	चित्तौडगढ	201546	14533	46283	0	0	140730
27	प्रतापगढ	550427	500338	0	0	0	0
28	डूंगरपुर	983437	983437	0	0	0	0
29	बांसवाड़ा	1372999	1372999	0	0	0	0
30	बूंदी	228549	0	112770	9266	0	106513
31	कोटा	183816	0	39245	5526	0	139045
32	बारां	276857	0	74645	4267	102124	95821
33	झालावाड	182229	0	75673	19912	0	86644
योग		**9238534**	**4551917**	**1588885**	**67451**	**102124**	**2928157**

- सहरिया परियोजना क्षेत्र की गैर सहरिया (बिखरी जनजाति) जनसंख्या सहित
- सहरिया परियोजना क्षेत्र की बिखरी जनजाति (गैर सहरिया) जनसंख्या के अतिरिक्त

सहरिया विकास परियोजना की जनसंख्या का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)**	ग्राम संख्या	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार			कुल जनसंख्या की तुलना में अनु. जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	कुल जनसंख्या की तुलना में सहरिया जनसंख्या का प्रतिशत*
				कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	सहरिया जनजाति की जनसंख्या'		
	जिला बांरा							
1.	शाहबाद	1460	236	105875	41808	34687	39.49	32.76
2.	किशनगंज	1451	213	166864	60316	39308	36.15	23.56
	कुल	**2911**	**449**	**272739**	**102124**	**73995**	**37.44**	**27.13**

* सहरिया जनजाति जनसंख्या का विवरण मा.ला. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा सन् 2002 में किये गये सर्वे के आधार पर है

**क्षेत्रफल का विवरण पूर्ववर्ती अनुसार ही लिया गया है।

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 26, गुरुवार, शाके 1938–जून 16, 2016
Jyaistha 26, Thursday, Saka 1938–June 16, 2016

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

TRIBAL AREA DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, June 15, 2016

G.S.R. 24 .-In exercise of the powers conferred by paragraph 4 of part B of the Fifth Schedule of the Constitution of India the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tribes Advisory Council Rules, 1980, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Tribes Advisory Council (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 3.**- In sub-rule (2) of rule 3 of the Rajasthan Tribes Advisory Ccuncial Rules, 1980, for the exiting expression " The Minister of the Tribal Development Department of Government of Rajasthan shall be the Ex-officio Chairman and member of the Council. The State Minister/Deputy Minister, Tribal Area Development Department shall be the Ex-officio Vice-Chairman and member of the Council", the expression "The Chief Minister of the State of Rajasthan shall be the Ex-officio Chairman and member of the Council. The Minister incharge/State Minister, Tribal Area Development Department shall be the Ex-officio Vice Chairman and Member of the Council." Shall be substituted.

[No. F.4 (25)(14)TAC/TAD/ 2013]
By Order of the Governor,
S.R. Meena,
Joint Secretary to the Government.

43

Government Central Press, Jaipur.

वर्ष 2018–19 में संचालित आश्रम छात्रावासों का क्षेत्रवार विवरण

क्र. स0	जिले / क्षेत्र का नाम	वर्गवार छात्रावास सं.			वर्गवार छात्रावास क्षमता			वर्गवार प्रवेशित		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	उदयपुर	38	34	**72**	2205	2295	**4500**	2158	2267	**4425**
2	बांसवाडा	25	40	**65**	2250	2565	**4815**	2249	2565	**4814**
3	प्रतापगढ	21	34	**55**	1705	2025	**3730**	1705	2025	**3730**
4	डूंगरपुर	31	20	**51**	2380	1500	**3880**	2380	1500	**3880**
5	पाली	2	0	**2**	200	0	**200**	197	0	**197**
6	चित्तौडगढ	1	0	**1**	150	0	**150**	150	0	**150**
7	आबूरोड (सिरोही)	9	4	**13**	805	380	**1185**	805	380	**1185**
	योग	**127**	**132**	**259**	**9695**	**8765**	**18460**	**9644**	**8737**	**18381**
1	माडा	22	35	**57**	1590	2150	**3740**	1443	1766	**3209**
2	बिखरी	1	21	**22**	50	1100	**1150**	49	879	**928**
3	सहरिया	22	7	**29**	1045	410	**1455**	1045	399	**1444**
	योग	**45**	**63**	**108**	**2685**	**3660**	**6345**	**2537**	**3044**	**5581**
	महायोग	**172**	**195**	**367**	**12380**	**12425**	**24805**	**12181**	**11781**	**23962**

विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावास (सत्र 2018–19)

जिला	पंचायत समिति	क्र. स.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित विद्यार्थी
बांसवाडा	गढी	1	गढी	बालक	सी.मा.वि	1988-89	100	100
बांसवाडा	गढी	2	गढी	बालिका	सी.मा.वि	2014-15	75	75
बांसवाडा	गढी	3	सरेडी बडी	बालक	सी.मा.वि	1989-90	100	100
बांसवाडा	गढी	4	पालोदा	बालिका	सी.मा.वि	2015-16	50	50
बांसवाडा	कुशलगढ	5	रामगढ	बालक	सी.मा.वि	1986-87	100	100
बांसवाडा	कुशलगढ	6	हिमलाबडा	बालक	सी.मा.वि	1990-91	75	75
बांसवाडा	कुशलगढ	7	छोटी सरवा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
बांसवाडा	कुशलगढ	8	कुशलगढ	बालिका	सी.मा.वि	1996-97	125	125
बांसवाडा	कुशलगढ	9	छोटी सरवा	बालिका	सी.मा.वि	2012-13	75	75
बांसवाडा	कुशलगढ	10	बडला की रेल	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
बांसवाडा	कुशलगढ	11	बस्सी–कुशलगढ	बालिका	मा.वि.	2016-17	50	50
बांसवाडा	कुशलगढ	12	झींकली	बालिका	मा.वि.	2016-17	50	50
बांसवाडा	कुशलगढ	13	ठिमेडा (टिमेडा बडा)	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
बांसवाडा	कुशलगढ	14	पोटलिया	बालिका	सी.मा.वि	2012-13	50	50
बांसवाडा	छोटी सरवन	15	छोटी सरवन	बालक	सी.मा.वि	1978-79	100	100
बांसवाडा	छोटी सरवन	16	दानपुर	बालिका	सी.मा.वि	2014-15	50	50
बांसवाडा	छोटी सरवन	17	घोडी तेजपुर	बालक	मा.वि	1989-90	100	100
बांसवाडा	छोटी सरवन	18	छोटी सरवन	बालिका	मा.वि	2002-03	75	75
बांसवाडा	बागीदौरा	19	कलिंजरा	बालक	सी.मा.वि	1977-78	125	125
बांसवाडा	बागीदौरा	20	बडोदिया	बालक	सी.मा.वि	1997-98	100	100
बांसवाडा	बागीदौरा	21	बागीदौरा	बालिका	सी.मा.वि	2004-05	125	125
बांसवाडा	बागीदौरा	22	करजी	बालिका	सी.मा.वि	2006-07	100	100
बांसवाडा	बागीदौरा	23	शक्करवाडा	बालिका	सी.मा.वि	2014-15	50	50
बांसवाडा	बागीदौरा	24	बडोदिया	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
बांसवाडा	बागीदौरा	25	नौगामा	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
बांसवाडा	तलवाडा	26	तलवाडा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
बांसवाडा	तलवाडा	27	कूपडा	बालक	सी.मा.वि	1996-97	75	75

बांसवाडा	आनन्दपुरी	28	आनन्दपुरी	बालक	सी.मा.वि	1997-98	100	100
बांसवाडा	आनन्दपुरी	29	आनन्दपुरी	बालिका	सी.मा.वि	1987-88	100	100
बांसवाडा	आनन्दपुरी	30	चान्दरवाडा	बालिका	सी.मा.वि	2006-07	100	100
बांसवाडा	आनन्दपुरी	31	शारदा (फलवा)	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	75	75
बांसवाडा	आनन्दपुरी	32	मडकौला	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	40	40
बांसवाडा	आनन्दपुरी	33	डोकर	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
बांसवाडा	आनन्दपुरी	34	बडलिया	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
बांसवाडा	आनन्दपुरी	35	उदयपुरबडा	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50
बांसवाडा	आनन्दपुरी	36	टामटिया	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50
बांसवाडा	घाटोल	37	रूपजी का खेडा	बालक	सी.मा.वि	1989-90	75	75
बांसवाडा	घाटोल	38	नरवाली	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
बांसवाडा	घाटोल	39	पडोली राठोड	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
बांसवाडा	घाटोल	40	बोरदा	बालक	सी.मा.वि	2006-07	125	124
बांसवाडा	घाटोल	41	घाटोल	बालिका	सी.मा.वि	2011-12	75	75
बांसवाडा	घाटोल	42	बस्सी आडा	बालिका	मा.वि.	2016-17	50	50
बांसवाडा	घाटोल	43	जगपुरा	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
बांसवाडा	सज्जनगढ	44	कसारवाडी	बालक	सी.मा.वि	1990-91	75	75
बांसवाडा	सज्जनगढ	45	ताम्बेसरा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
बांसवाडा	सज्जनगढ	46	छोटा डूँगरा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
बांसवाडा	सज्जनगढ	47	सज्जनगढ	बालिका	सी.मा.वि	2011-12	75	75
बांसवाडा	सज्जनगढ	48	छोटा डूँगरा	बालिका	सी.मा.वि	2012-13	75	75
बांसवाडा	सज्जनगढ	49	सागवा	बालिका	सी.मा.वि	2012-13	50	50
बांसवाडा	अरथुना	50	जौलाना	बालिका	सी.मा.वि	1996-97	100	100
बांसवाडा	अरथुना	51	लोकिया अरथुना	बालिका	सी.मा.वि	2014-15	50	50
बांसवाडा	गांगडतलाई	52	गांगडतलाई	बालक	सी.मा.वि	1986-87	100	100
बांसवाडा	गांगडतलाई	53	सल्लोपाट	बालक	मा.वि	1997-98	100	100
बांसवाडा	गांगडतलाई	54	पंचाल (टांडी)	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
बांसवाडा	गांगडतलाई	55	जेरमाटी (लंकाई)	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
बांसवाडा	गांगडतलाई	56	गमानिया मोती	बालिका	सी.मा.वि	2015-16	50	50
बांसवाडा	बांसवाडा	57	आंबापुरा	बालक	सी.मा.वि	1989-90	100	100
बांसवाडा	बांसवाडा	58	खेडा वडली पाडा	बालक	मा.वि	1985-86	100	100

बांसवाडा	बांसवाडा	59	खेडा वडली पाडा	बालिका	मा.वि	2014-15	50	50
बांसवाडा	बांसवाडा	60	माही डेम	बालक	सी.मा.वि	1997-98	100	100
बांसवाडा	बांसवाडा	61	प्रति. बांसवाडा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
बांसवाडा	बांसवाडा	62	बांसवाडा	बालिका	सी.मा.वि	1995-96	100	100
बांसवाडा	बांसवाडा	63	बोरिया (पलाशवानी)	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
बांसवाडा	बांसवाडा	64	नवागॉव	बालिका	सी.मा.वि	2015-16	50	50
बांसवाडा	गागंडतलाई	65	घोडिया	बालिका	सी.मा.वि	2017-18	50	50
			योग 65 बालक 25, बालिका 40				**4815**	**4814**
डूँगरपुर	साबला	1	रीछा	बालक	सी.मा.वि	1978-79	125	125
डूँगरपुर	साबला	2	पचलासा छोटा	बालक	सी.मा.वि	1989-90	50	50
डूँगरपुर	साबला	3	निठाउवा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
डूँगरपुर	साबला	4	निठाउवा	बालिका	सी.मा.वि	2014-15	75	75
डूँगरपुर	आसपुर	5	आसपुर	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
डूँगरपुर	आसपुर	6	पूंजपुर	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
डूँगरपुर	आसपुर	7	रामगढ	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
डूँगरपुर	आसपुर	8	आसपुर	बालिका	सी.मा.वि	2006-07	100	100
डूँगरपुर	साबला	9	साबला	बालिका	सी.मा.वि	2010-11	75	75
डूँगरपुर	आसपुर	10	देवला	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50
डूँगरपुर	सागवाडा	11	ठाकरडा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
डूँगरपुर	सागवाडा	12	ओबरी	बालक	सी.मा.वि	1991-92	100	100
डूँगरपुर	सागवाडा	13	नोकना	बालक	सी.मा.वि	1989-90	75	75
डूँगरपुर	सागवाडा	14	चित्रकूट	बालक	सी.मा.वि	1989-90	50	50
डूँगरपुर	सागवाडा	15	भीलूडा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
डूँगरपुर	सागवाडा	16	पाडवा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
डूँगरपुर	गलियाकोट	17	बडगी	बालिका	सी.मा.वि	2011-12	50	50
डूँगरपुर	सागवाडा	18	ओबरी	बालिका	सी.मा.वि	1991-92	100	100
डूँगरपुर	सागवाडा	19	भीलूडा	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	75	75
डूँगरपुर	सागवाडा	20	खडगदा	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	75	75
डूँगरपुर	गलियाकोट	21	चितरी	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50
डूँगरपुर	सागवाडा	22	पादरडीबडी	बालिका	सी.मा.वि	2015-16	50	50
डूँगरपुर	डूँगरपुर	23	फलोज	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75

डूँगरपुर	डूँगरपुर	24	फलोज	बालिका	सी.मा.वि	2014-15	50	50
डूँगरपुर	डूँगरपुर	25	कहारी	बालक	सी.मा.वि	1991-92	75	75
डूँगरपुर	डूँगरपुर	26	रघुनाथपुरा	बालक	सी.मा.वि	1981-82	100	100
डूँगरपुर	डूँगरपुर	27	मालचौकी	बालक	सी.मा.वि	1989-90	75	75
डूँगरपुर	डूँगरपुर	28	सूराता	बालक	सी.मा.वि	1987-88	100	100
डूँगरपुर	डूँगरपुर	29	प्रति. डूँगरपुर	बालक	सी.मा.वि	1991-92	100	100
डूँगरपुर	डूँगरपुर	30	डूँगरपुर	बालिका	सी.मा.वि	1995-96	125	125
डूँगरपुर	डूँगरपुर	31	पालमाण्डव	बालिका	सी.मा.वि	2003-04	75	75
डूँगरपुर	डूँगरपुर	32	कन्या सतीरामपुर	बालिका	सी.मा.वि	2015-16	50	50
डूँगरपुर	बिच्छीवाडा	33	देवलपाल	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
डूँगरपुर	बिच्छीवाडा	34	बिच्छीवाडा	बालक	सी.मा.वि	1990-91	75	75
डूँगरपुर	बिच्छीवाडा	35	तलैया	बालक	सी.मा.वि	1985-86	100	100
डूँगरपुर	बिच्छीवाडा	36	माडा	बालक	सी.मा.वि	1985-86	130	130
डूँगरपुर	बिच्छीवाडा	37	गंधवापाल	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
डूँगरपुर	बिच्छीवाडा	38	गामडी अहाडा	बालक	सी.मा.वि	1990-91	75	75
डूँगरपुर	बिच्छीवाडा	39	चुण्डावाडा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
डूँगरपुर	बिच्छीवाडा	40	छापी	बालिका	सी.मा.वि	1990-91	125	125
डूँगरपुर	बिच्छीवाडा	41	मेवाडा	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50
डूँगरपुर	सीमलवाडा	42	डूँका	बालक	सी.मा.वि	1985-86	100	100
डूँगरपुर	सीमलवाडा	43	बडगामा	बालक	सी.मा.वि	1991-92	50	50
डूँगरपुर	सीमलवाडा	44	झलाप	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
डूँगरपुर	सीमलवाडा	45	पीठ	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
डूँगरपुर	सीमलवाडा	46	सीमलवाडा	बालक	सी.मा.वि	1998-99	100	100
डूँगरपुर	सीमलवाडा	47	रास्तापाल	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
डूँगरपुर	सीमलवाडा	48	सीमलवाडा	बालिका	सी.मा.वि	1991-92	100	100
डूँगरपुर	सीमलवाडा	49	चीखली	बालिका	सी.मा.वि	2004-05	100	100
डूँगरपुर	सीमलवाडा	50	बांसिया	बालिका	सी.मा.वि	2012-13	75	75
डूँगरपुर	सीमलवाडा	51	सरथुना	बालिका	सी.मा.वि	207-18	50	50
			योग 51 बालक 31, बालिका 20				**3880**	**3880**
उदयपुर	लसाडिया	1	लसाडिया	बालक	सी.मा.वि	1991-92	105	105
उदयपुर	लसाडिया	2	कालीभीत	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
उदयपुर	लसाडिया	3	लसाडिया	बालिका	सी.मा.वि	2003-04	75	75

उदयपुर	लसाडिया	4	कुण	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50
उदयपुर	कोटडा	5	मालवा का चौरा	बालक	सी.मा.वि	1988-89	95	90
उदयपुर	कोटडा	6	मामेर	बालक	सी.मा.वि	1978-79	100	96
उदयपुर	कोटडा	7	झेड	बालक	मा.वि	1997-98	50	50
उदयपुर	कोटडा	8	महाडी	बालिका	सी.मा.वि	2018-19	50	50
उदयपुर	कोटडा	9	बेकरिया	बालिका	सी.मा.वि	2017-18	100	100
उदयपुर	कोटडा	10	मेरपुर	बालिका	मा.वि	1999-2000	65	65
उदयपुर	कोटडा	11	कोटडा	बालिका	सी.मा.वि	2011-12	75	74
उदयपुर	गोगुन्दा	12	समीजा	बालक	सी.मा.वि	2004-05	50	50
उदयपुर	गोगुन्दा	13	पीपलीखेडा	बालिका	सी.मा.वि	2008-09	50	50
उदयपुर	गोगुन्दा	14	रावछ	बालक	सी.मा.वि	2018-19	100	70
उदयपुर	गोगुन्दा	15	छाली	बालिका	सी.मा.वि	2018-19	50	35
उदयपुर	गोगुन्दा	16	चित्रावास	बालिका	सी.मा.वि	2018-19	50	46
उदयपुर	झल्लारा	17	भबराना	बालक	सी.मा.वि	1985-86	100	100
उदयपुर	झल्लारा	18	जैताणा	बालिका	सी.मा.वि	2002-03	75	75
उदयपुर	सलूम्बर	19	ईटालीखेडा	बालक	सी.मा.वि	1991-92	50	50
उदयपुर	सलूम्बर	20	करावली	बालक	सी.मा.वि	1990-91	50	50
उदयपुर	सलूम्बर	21	डाल–सलूम्बर	बालिका	सी.मा.वि	2001-02	100	95
उदयपुर	सलूम्बर	22	गींगला	बालिका	सी.मा.वि	2015-16	50	50
उदयपुर	सलूम्बर	23	गामडापाल	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50
उदयपुर	झाडोल	24	झाडोल	बालक	सी.मा.वि	1984-85	100	100
उदयपुर	झाडोल	25	बाघपुरा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
उदयपुर	झाडोल	26	ढीमडी	बालक	सी.मा.वि	1989-90	70	67
उदयपुर	झाडोल	27	ओडा	बालक	सी.मा.वि	1996-97	40	40
उदयपुर	झाडोल	28	गोराणा	बालक	सी.मा.वि	1996-97	40	40
उदयपुर	झाडोल	29	ओगणा	बालिका	सी.मा.वि	2017-18	50	50
उदयपुर	झाडोल	30	झाडोल	बालिका	सी.मा.वि	2011-12	75	75
उदयपुर	फलासिया	31	पानरवा	बालिका	सी.मा.वि	2006-07	75	75
उदयपुर	फलासिया	32	नालवा	बालक	उ.मा.वि	1997-98	40	40
उदयपुर	फलासिया	33	डैया	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
उदयपुर	फलासिया	34	मादडी	बालक	सी.मा.वि	2004-05	50	50
उदयपुर	फलासिया	35	अम्बासा	बालक	मा.वि	1986-87	80	80
उदयपुर	फलासिया	36	फलासिया	बालिका	सी.मा.वि	1982-83	105	105
उदयपुर	फलासिया	37	बिरोठी	बालिका	सी.मा.वि	2004-05	50	50
उदयपुर	फलासिया	38	अम्बासा	बालिका	मा.वि	1995-96	50	50
उदयपुर	खैरवाडा	39	सरेरा	बालक	मा.वि	1997-98	25	25
उदयपुर	खैरवाडा	40	बावलवाडा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
उदयपुर	खैरवाडा	41	पाटिया	बालक	सी.मा.वि	1997-98	40	40

उदयपुर	खैरवाडा	42	आडिवली	बालक	मा.वि	1997-98	40	40
उदयपुर	खैरवाडा	43	छाणी	बालिका	सी.मा.वि	1983-84	100	100
उदयपुर	खैरवाडा	44	कनबई	बालिका	सी.मा.वि	2004-05	75	75
उदयपुर	खैरवाडा	45	सारोली	बालिका	सी.मा.वि	2006-07	50	50
उदयपुर	खैरवाडा	46	खैरवाडा	बालिका	सी.मा.वि	2011-12	75	75
उदयपुर	खैरवाडा	47	बलीचा	बालक	मा.वि	2006-07	50	50
उदयपुर	खैरवाडा	48	गोहावाडा	बालिका	सी.मा.वि	2015-16	50	47
उदयपुर	ऋषभदेव	49	कोजावाडा	बालक	मा.वि	1991-92	50	50
उदयपुर	ऋषभदेव	50	कल्याणपुर	बालक	मा.वि	1997-98	40	40
उदयपुर	ऋषभदेव	51	ढेलाना	बालक	सी.मा.वि	2006-07	50	50
उदयपुर	ऋषभदेव	52	ऋषभदेव	बालिका	सी.मा.वि	1997-98	100	100
उदयपुर	ऋषभदेव	53	सागवाडा की पाल	बालिका	मा.वि	2006-07	75	75
उदयपुर	गिर्वा	54	टीडी	बालक	सी.मा.वि	2004-05	50	50
उदयपुर	गिर्वा	55	बारापाल	बालक	मा.वि	1997-98	40	40
उदयपुर	गिर्वा	56	प्रति.फतेह स्कूल, उदयपुर	बालक	सी.मा.वि	1990-91	75	75
उदयपुर	गिर्वा	57	प्रति. झामर कोटडा	बालक	मा.वि	1991-92	50	50
उदयपुर	गिर्वा	58	कस्तूरबा (मघुबन), उदयपुर	बालिका	सी.मा.वि	1997-98	100	100
उदयपुर	गिर्वा	59	उमरडा	बालिका	मा.वि	2002-03	75	75
उदयपुर	गिर्वा	60	बच्छार	बालिका	मा.वि	2011-12	50	50
उदयपुर	गिर्वा	61	सरू	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50
उदयपुर	सराडा	62	सराडा	बालक	सी.मा.वि	1987-88	50	50
उदयपुर	सराडा	63	केजड	बालक	सी.मा.वि	1991-92	50	50
उदयपुर	सराडा	64	झाडोल (सराडा)	बालक	सी.मा.वि	1998-99	50	50
उदयपुर	सराडा	65	परसाद	बालक	सी.मा.वि	1998-99	75	75
उदयपुर	सराडा	66	चावण्ड	बालिका	सी.मा.वि	1998-99	75	75
उदयपुर	सराडा	67	अदवास	बालिका	मा.वि	2003-04	75	75
उदयपुर	सराडा	68	सराडा	बालिका	सी.मा.वि	2006-07	50	50
उदयपुर	सेमारी	69	टोकर	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
उदयपुर	सेमारी	70	भौराईपाल	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
उदयपुर	सेमारी	71	रठौडा	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50
उदयपुर	कुराबड	72	बम्बोरा	बालक	सी.मा.वि	2009-10	50	45
			योग 72, बालक 38, बालिका 34				**4500**	**4425**
सिरोही	आबूरोड	1	मीन तलेटी	बालक	मा.वि	1997-98	80	80
सिरोही	आबूरोड	2	दोयतरा	बालक	मा.वि	1998-99	130	130

सिरोही	आबूरोड	3	गिरवर	बालक	सी.मा.वि	1983-84	130	130
सिरोही	आबूरोड	4	सियावा	बालक	मा.वि	1987-88	50	50
सिरोही	आबूरोड	5	किवरली	बालक	सी.मा.वि	1988-89	50	50
सिरोही	आबूरोड	6	सांतपुर	बालक	सी.मा.वि	1988-89	100	100
सिरोही	आबूरोड	7	ओर	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
सिरोही	आबूरोड	8	आमथला	बालक	सी.मा.वि	2011-12	50	50
सिरोही	आबूरोड	9	मानपुर	बालिका	सी.मा.वि	1996-97	150	150
सिरोही	आबूरोड	10	ओर	बालिका	सी.मा.वि	1996-97	130	130
सिरोही	पिण्डवाडा	11	मोरस	बालक	सी.मा.वि	1996-97	140	140
सिरोही	पिण्डवाडा	12	आपरीखेडा	बालिका	सी.मा.वि	1996-97	50	50
सिरोही	पिण्डवाडा	13	भुला	बालिका	सी.मा.वि	2017-18	50	50
			योग 13 बालक 9, बालिका 4				**1185**	**1185**
प्रतापगढ	प्रतापगढ	1	देवगढ	बालक	सी.मा.वि	1981-82	105	105
प्रतापगढ	प्रतापगढ	2	थडा	बालक	सी.मा.वि	1987-88	100	100
प्रतापगढ	प्रतापगढ	3	बोरी	बालक	सी.मा.वि	1990-91	80	80
प्रतापगढ	प्रतापगढ	4	धमोत्तर	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
प्रतापगढ	प्रतापगढ	5	बारावरदा	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	6	गन्धेर	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	7	कुलथाना	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
प्रतापगढ	प्रतापगढ	8	प्रति. प्रतापगढ	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	9	प्रतापगढ	बालक	सी.मा.वि	2004-05	100	100
प्रतापगढ	प्रतापगढ	10	देवगढ	बालिका	सी.मा.वि	2004-05	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	11	कुलथाना	बालिका	सी.मा.वि	2004-05	75	75
प्रतापगढ	प्रतापगढ	12	प्रतापगढ	बालिका	सी.मा.वि	1995-96	100	100
प्रतापगढ	प्रतापगढ	13	अवलेश्वर	बालिका	सी.मा.वि	2004-05	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	14	लोहारिया	बालिका	सी.मा.वि	2006-07	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	15	थडा	बालिका	सी.मा.वि	2012-13	75	75
प्रतापगढ	प्रतापगढ	16	बारावरदा	बालिका	सी.मा.वि	2012-13	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	17	मधुरा तालाब	बालिका	सी.मा.वि	2015-16	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	18	नकोर	बालिका	मा.वि.	2016-17	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	19	झांसडी	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50

प्रतापगढ	प्रतापगढ	20	अचलपुरा	बालिका	सी.मा.वि	2018-19	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	21	पानमोडी	बालिका	सी.मा.वि	2016-17	50	50
प्रतापगढ	अरनोद	22	नागदी	बालक	सी.मा.वि	1990-91	80	80
प्रतापगढ	अरनोद	23	अरनोद	बालक	सी.मा.वि	1990-91	80	80
प्रतापगढ	अरनोद	24	सालमगढ	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
प्रतापगढ	अरनोद	25	दलोट	बालक	सी.मा.वि	1998-99	75	75
प्रतापगढ	अरनोद	26	जांजली	बालक	सी.मा.वि	1997-98	50	50
प्रतापगढ	अरनोद	27	चूपना	बालक	सी.मा.वि	2004-05	75	75
प्रतापगढ	अरनोद	28	बडी सॉखथली	बालिका	सी.मा.वि	2006-07	50	50
प्रतापगढ	अरनोद	29	सांखथली थाना	बालिका	सी.मा.वि	2004-05	50	50
प्रतापगढ	अरनोद	30	अरनोद	बालिका	सी.मा.वि	2011-12	50	50
प्रतापगढ	अरनोद	31	दलोट	बालिका	सी.मा.वि	1996-97	100	100
प्रतापगढ	अरनोद	32	सेवना	बालिका	मा.वि.	2016-17	50	50
प्रतापगढ	पीपलखूँट	33	पीपलखूँट	बालक	सी.मा.वि	1996-97	130	130
प्रतापगढ	पीपलखूँट	34	घन्टाली	बालक	सी.मा.वि	1997-98	75	75
प्रतापगढ	पीपलखूँट	35	घन्टाली	बालिका	सी.मा.वि	2018-19	50	50
प्रतापगढ	पीपलखूँट	36	सुहागपुरा	बालक	सी.मा.वि	1981-82	100	100
प्रतापगढ	पीपलखूँट	37	रामपुरिया	बालक	सी.मा.वि	1983-84	100	100
प्रतापगढ	पीपलखूँट	38	रामपुरिया	बालिका	सी.मा.वि	2018-19	50	50
प्रतापगढ	पीपलखूँट	39	डूंगलावानी	बालिका	सी.मा.वि	2004-05	50	50
प्रतापगढ	पीपलखूँट	40	पीपलखूँट	बालिका	सी.मा.वि	2006-07	75	75
प्रतापगढ	पीपलखूँट	41	सुहागपुरा	बालिका	सी.मा.वि	2002-03	75	75
प्रतापगढ	पीपलखूँट	42	पण्डावा	बालिका	सी.मा.वि	2002-03	50	50
प्रतापगढ	पीपलखूँट	43	मोटा धामनिया	बालिका	सी.मा.वि	2015-16	50	50
प्रतापगढ	प्रतापगढ	44	डाबडा	बालिका	सी.मा.वि	2017-18	50	50
प्रतापगढ	धरियावद	45	गोठडा	बालक	सी.मा.वि	1979-80	105	105
प्रतापगढ	धरियावद	46	पारसोला	बालक	सी.मा.वि	1998-99	75	75
प्रतापगढ	धरियावद	47	पारसोला	बालिका	सी.मा.वि	2011-12	50	50
प्रतापगढ	धरियावद	48	धरियावद	बालिका	सी.मा.वि	1987-88	70	70
प्रतापगढ	धरियावद	49	खून्ता	बालिका	सी.मा.वि	2012-13	75	75
प्रतापगढ	छोटी सादडी	50	करजू	बालिका	सी.मा.वि	2003-04	50	50
प्रतापगढ	छोटी सादडी	51	धौलापानी	बालिका	सी.मा.वि	2017-18	130	130

प्रतापगढ	छोटी सादडी	52	भाट खेडी (देवाक माता)	बालिका	सी.मा.वि	2017-18	50	50
प्रतापगढ	छोटी सादडी	53	गणेशपुरा	बालिका	सी.मा.वि	2017-18	50	50
प्रतापगढ	छोटी सादडी	54	पीलीखेडा	बालिका	सी.मा.वि	2017-18	50	50
प्रतापगढ	छोटी सादडी	55	जलोदिया केलु खेडा	बालिका	सी.मा.वि	2017-18	50	50
			योगः–55				**3730**	**3730**
			बालिका–34 **बालक –21**					

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावास सत्र 2018–19

जिला	पंचायत समिति	क्र. स.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित विद्यार्थी
पाली	बाली	1	भीमाना	बालक	सी.मा.वि	1996-97	100	100
		2	दानवरली	बालक	सी.मा.वि	1996-97	100	97
					योग		**200**	**197**

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावास सत्र 2018–19

जिला	पंचायत समिति	क्र. स.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित विद्यार्थी
चित्तौडगढ	बडी सादडी	1	मुंझवा	बालक	सी.मा.वि	2002-03	150	150
					योग		**150**	**150**

माडा जिले में संचालित छात्रावासों का विवरण 2018–19

जिला	पंचायत समिति	छात्रावास का नाम	क्र. स.	वर्ग	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित
सवाई माधोपुर	चौथ का बरवाडा	बरवाडा	1	बालक	100	93
	गंगापुरसिटी	वजीरपुर	2	बालक	100	100
		डिबस्या	3	बालिका	50	50
उदयपुर	भीण्डर	भरडियो	4	बालक	100	84
राजसमन्द	कुम्भलगढ	कुम्भलगढ	5	बालिका	50	45
दौसा	बान्दीकुई	भांवता–भावती	6	बालिका	100	72
	सिकराई	नांदरी	7	बालिका	50	50
	मउवा	उकरूंद	8	बालक	100	61

	लालसोट	बिलौनीकलां	9	बालक	50	50
	लालसोट	रालावास	10	बालक	100	95
	दौसा	काली पहाडी	11	बालक	100	64
	बांदीकुई	निहालपुरा	12	बालक	50	32
	सिकराय	घुमना	13	बालक	50	50
	दौसा	मोहनपुरा	14	बालिका	100	94
	बांदीकुई	आलियापाडा	15	बालिका	50	50
	दौसा	नांगलराजावतान	16	बालिका	50	50
	लालसोट	बिदरखां	17	बालिका	50	50
	महुआ	मोनापुरा	18	बालिका	50	50
अलवर	रेणी	रेणी	19	बालिका	100	100
	राजगढ़	राजगढ	20	बालिका	100	56
		दुब्बी	21	बालिका	50	25
		पालपुर	22	बालिका	100	80
		जयसिंहपुरा	23	बालिका	50	35
		मल्लाना	24	बालिका	50	0
		नाथलवाडा	25	बालिका	50	16
	थानागाजी	थानागाजी	26	बालिका	100	98
झालावाड	खानपुर	मउबोरदा	27	बालक	50	50
	अकलेरा	पचौला	28	बालक	50	50
करौली	सपोटरा	सपोटरा	29	बालिका	100	100
	टोडाभीम	नांगलशेरपुर	30	बालक	100	92
	सपोटरा	करणपुर	31	बालक	50	45
	सपोटरा	नयागांव	32	बालिका	50	0
	हिण्डोन	कटकड	33	बालक	100	100
भीलवाडा	जहाजपुर	लुहारी कलां	34	बालक	90	90
	माडलगढ	श्यामपुरा	35	बालक	50	50
	जहाजपुर	धौड	36	बालिका	50	50
चित्तौडगढ	भैंसरोड़गढ	लक्ष्मीपुरा	37	बालक	100	100
		रावतभाटा	38	बालिका	100	85
सिरोही	पिण्डवाडा	वरली	39	बालिका	50	30
		सरूपगंज	40	बालक	50	50
कोटा	लाडपुरा	मण्डाना	41	बालिका	50	50
बून्दी	हिण्डाली	पेच की बावडी	42	बालक	50	50
प्रतापगढ	छोटी सादडी	जलोदिया कलुखेडा	43	बालिका	50	50
टोंक	देवली	राजकोट	44	बालिका	50	50
जयपुर	चाकसू	ठीकरिया मीना	45	बालक	50	48

	जमवारामगढ़	दतालामीना	46	बालक	50	49
	आमेर	ढण्ड	47	बालक	50	40
	बस्सी	झर	48	बालिका	50	49
		जयराम का वास	49	बालिका	50	50
		खतेपुरा	50	बालिका	50	50
		अणतपुरा	51	बालिका	50	50
		हरडी	52	बालिका	50	50
		पाटन	53	बालिका	50	26
		गुढा मीना	54	बालिका	50	28
	चाकसू	भगवतसर कांकरिया	56	बालिका	50	50
		गिरधारीलाल पुरा	56	बालिका	50	27
बारां	छीपा बडोद	पछाड	57	बालिका	50	50
	कुल 57				3740	3209
	बालिका – 35					
	बालक –22					

बिखरी आश्रम छात्रावास वर्ष 2018–19 की प्रवेश सूची (बालक–बालिका)

जिला	पंचायत समिति	छात्रावास का नाम	क्र. स.	वर्ग	शिक्षा का स्तर	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित	प्रारम्भ वर्ष
बारां	अन्ता	बटावदी	1	बालिका	12वीं	50	50	2016
सवाई माधोपुर	बौली	बौली	2	बालिका	12वीं	50	50	2016
उदयपुर	भीण्डर	भीण्डर	3	बालिका	12वीं	50	17	2006
	भीण्डर	लूणदा	4	बालिका	12वीं	50	44	2017
राजसमन्द	राजसमन्द	राजसमन्द	5	बालक	12वीं	50	49	2006
	खमनोर	सेमा	6	बालिका	12वीं	50	40	2003
	राजसमन्द	पुठोल(मूण्डोल)	7	बालिका	12वीं	50	47	2016
	खमनोर	नाथुवास	8	बालिका	12वीं	50	32	2017
अलवर	राजगढ़	टहला	9	बालिका	12वीं	50	17	2015
	थानागाजी	क्यारा	10	बालिका	12वीं	100	90	1987
चित्तौडगढ	बेगूं	काटून्दा	11	बालिका	12वीं	50	45	2016
	बेगूं	तेजपुर	12	बालिका	12वीं	50	20	2017
जोधपुर	शेरगढ	शेरगढ	13	बालिका	12वीं	50	50	2015
बून्दी	तालेडा	डाबी	14	बालिका	12वीं	50	48	2003
	बून्दी	खटकड	15	बालिका	12वीं	50	50	2015
धौलपुर	बसेडी	आंगई	16	बालिका	12वीं	50	50	2016
	बसेडी	सरमथुरा	17	बालिका	12वीं	50	33	2016
जयपुर	बस्सी	ग्वालिनी	18	बालिका	12वीं	50	50	2004

	बस्सी	बडवा	19	बालिका	12वीं	50	41	2015
जैसलमेर	जैसलमेर	जेठवाई	20	बालिका	12वीं	50	46	2017
अजमेर	केकडी	केकडी	21	बालिका	12वीं	50	10	2016
पाली	सुमेरपुर	नौवी	22	बालिका	12वीं	50	49	2018
कुल 22						1150	928	
बालिका – 21								
बालक –1								

सहरिया क्षेत्र मे संचालित आश्रम छात्रावास 2018–19

क.सं.	जिला	पंचायत समिति	क.सं.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	छात्र क्षमता	प्रवेशित
1	बारां	शाहबाद	1	आगर	बालक	सी.मा. वि	2007	25	25
			2	कस्बाथाना	बालक	सी.मा. वि	2007	40	40
			3	चौराखाडी	बालक	मा.वि	2007	25	25
			4	बमनगवां	बालक	सी.मा. वि	1989	50	50
			5	देवरी	बालक	सी.मा. वि	1988	50	50
			6	खाण्डा सहरोल	बालक	सी.मा. वि	2007	25	25
			7	राजपुर	बालक	सी.मा. वि	2004	50	50
			8	समरानियां	बालक	सी.मा. वि	1989	65	65
			9	शाहाबाद	बालक	सी.मा. वि	2010	50	50
			10	हाटरी	बालक	मा.वि	2014	25	25
		किशनगंज	11	खण्डेला	बालक	मा.वि	2007	25	25
			12	भंवरगढ	बालक	सी.मा. वि	1988	65	65
			13	गरडा	बालक	सी.मा. वि	1991	65	65
			14	रेलावन	बालक	सी.मा. वि	1993	50	50
			15	विलासगढ़	बालक	सी.मा. वि	2007	65	65
			16	बजरंगगढ	बालक	सी.मा. वि	2007	40	40
			17	केलवाडा	बालक	सी.मा. वि	2011	50	50
			18	किशनगंज	बालक	सी.मा. वि	2010	65	65

		बांरा	19	बांरा	बालक	सी.मा. वि	2001	65	65
		अटरू	20	अटरू	बालक	सी.मा. वि	2015	50	50
		शाहबाद	21	शाहबाद	बालिका	सी.मा. वि	1988	65	65
			22	केलवाडा	बालिका	सी.मा. वि	1988	65	65
			23	समरानियां	बालिका	सी.मा. वि	2010	50	50
			24	रामगढ	बालिका	सी.मा. वि	2014	50	50
		किशनगंज	25	घट्टी	बालिका	सी.मा. वि	1995	65	65
			26	नाहररगढ़	बालिका	सी.मा. वि	2011	50	50
		बारां	27	बारां	बालिका	सी.मा. वि	2000	65	54
			28	बासंथूनी	बालक	सी.मा. वि	2016	50	50
			29	जलवाडा	बालक	सी.मा. वि	2017	50	50
	सहरिया में कुल 29 आश्रम छात्रावास बालिका – 7 बालक – 22				योग			**1455**	**1444**

बालिका बहुउद्देशीय छात्रावास में प्रवेश क्षमता की स्थिति

जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	प्रवेश क्षमता
उदयपुर	1	150
बारां	1	100
कोटा	1	100
डूंगरपुर	1	100
बांसवाडा	1	100
प्रतापगढ	1	100
योग	**6**	**650**

Details of Running EMRS - 2018-19

Total : 17 **Boys : 8, Girls : 4, Co-Education: 5**

क्र. सं.	जिला	विद्यालय का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालु वर्ष	प्रवेशित क्षमता	प्रवेशित संख्या
1	उदयपुर	कोटडा	बालक	सी.मा.वि	2002	350	328
2		गोगुन्दा	बालिका	मा.वि	2019	60	43
3		खेरवाडा	बालक	सी.मा.वि	2002	350	320
4	बांसवाडा	कुशलगढ	बालक	सी.मा.वि	2002	350	350
5		सुन्द्राव	बालक	मा.वि	2018	200	178
6		पाडोला	सह शिक्षा	मा.वि	2015	300	300
7	डूँगरपुर	सीमलवाडा	बालक	सी.मा.वि	2002	480	396
8		पारडा चुण्डावत	बालिका	सी.मा.वि	2016	180	180
9	प्रतापगढ	टिमरवा	बालिका	सी.मा.वि	2012	350	350
10	सिरोही	आबूरोड	बालक	सी.मा.वि	2002	480	417
11	टोंक	निवाई	बालिका	सी.मा.वि	2002	480	469
12	बारां	हनोतिया –शाहबाद	बालक	सी.मा.वि	2002	350	315
13	करोली	रानोली	सह शिक्षा	सी.मा.वि	2015	240	191
14	अलवर	मल्लाणा	सह शिक्षा	सी.मा.वि	2015	300	237
15		पाटन	सह शिक्षा	सी.मा.वि	2016	300	300
16	जयपुर	बिहारीपुरा	सह शिक्षा	सी.मा.वि	2015	300	184
17	सवाई माधोपुर	बरनाला	बालक	सी.मा.वि	2016	300	214
		योग				**5370**	**4772**

Details of State Run residential Schools - 2018-19

Total : 13 **Boys : 7, Girls : 6**

क्र. सं.	जिला	विद्यालय का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालु वर्ष	प्रवेशित क्षमता	प्रवेशित संख्या
1	उदयपुर	सलूम्बर	बालिका	सी.मा.वि	2002	350	338
2	बांसवाडा	हरेगजी का खेडा	बालिका	सी.मा.वि	2011	210	210
3	डूँगरपुर	सागवाडा	बालिका	सी.मा.वि	2011	210	210
4	प्रतापगढ	प्रतापगढ	बालक	सी.मा.वि	2002	350	350
5	झालावाड	झालरापाटन	बालक	सी.मा.वि	2007	300	225

6	दौसा	नयागांव महुवा	बालक	सी.मा.वि	2002	270	175
7		किशनगंज	बालिका	सी.मा.वि	2007	270	241
8		रामगढ	बालक	सी.मा.वि	2012	180	160
9		शाहबाद	बालिका	सी.मा.वि	2012	210	181
10	बारां	खुशियारा	बालिका	मा.वि.	2016	150	150
11		कोयला	बालक	मा.वि.	2017	150	105
12		कवाई	बालक	मा.वि.	2017	150	144
13		परानियॉ	बालक	मा.वि.	2017	150	111
		योग				2950	2600

Details of State Run Model Public Residential Schools - 2018-19

Total : 2 **Boys : 1, Girls : 1**

क. सं.	जिला	विद्यालय का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालु वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित संख्या
1	डूँगरपुर	सूरपुर	बालक	सी.मा.वि	2011	350	322
2	उदयपुर	ढीकली	बालिका	सी.मा.वि	2011	350	350
		योग				700	672

सहरिया क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों की सूची

क. सं	विद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित संख्या
1	आवासीय विद्यालय किशनगंज (कन्या)	270	241
2	आवासीय विद्यालय शाहबाद (कन्या)	210	181
3	आवासीय विद्यालय रामगढ़ (बालक)	180	160
4	आवासीय विद्यालय खुशियारा (बालिका)	150	150
5	आवासीय विद्यालय परानियां (बालक)	150	111
6	आवासीय विद्यालय कोयला (बालक)	150	105
7	आवासीय विद्यालय कवाई (बालक)	150	144
8	एकलव्य मॉडल पब्लिक रेसीडेन्सियल स्कूल (शाहाबाद)	350	315
योग आवासीय विद्यालय		1610	1407

विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावास (सत्र 2018–19)

क. सं.	जिला	क. सं.	खेल छात्रावास / एकेडमी का नाम	वर्ग	शिक्षा का स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित संख्या
1	बॉसवाड़ा	1	एकलव्य खेल छात्रावास, लोधा	बालक	सी.मा.वि.	1996	100	100
		2	तलवाड़ा	बालिका	सी.मा.वि.	2015	75	75
		3	घाटोल	बालिका	सी.मा.वि.	2016-17	50	50
2	उदयपुर	4	खैरवाड़ा	बालक	सी.मा.वि.	2003	50	50
		5	सरदारपुरा	बालक	सी.मा.वि.	2003	50	50
		6	मधुवन	बालिका	सी.मा.वि.	2015-16	75	75
		7	तीरन्दाजी ऐकेडमी खेलगांव	बालक	सी.मा.वि.	2015-16	75	75
3	डूंगरपुर	8	डूंगरपुर (तीजवड)	बालक	सी.मा.वि.	2013	75	75
		9	पुनाली	बालिका	सी.मा.वि.	2015	50	50
4	प्रतापगढ़	10	प्रतापगढ़	बालक	सी.मा.वि.	2014	75	75
		11	प्रतापगढ़	बालिका	सी.मा.वि.	2014	75	75
5	सिरोही	12	आबुरोड	बालक	सी.मा.वि.	2014	50	50
		13	सान्तपुर	बालिका	सी.मा.वि.	2015	75	75
योग (13 खेल छात्रावास)							**875**	**875**

कॉलेज छात्रावास के प्रवेश की स्थिति

जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	प्रवेश क्षमता		योग	प्रवेशित		योग
				बालिका	बालक		बालिका	बालक	
अनुसूचित क्षेत्र									
बांसवाडा	3	1	2	100	50	**150**	100	50	**150**
डूंगरपुर	2	0	2	100	0	**100**	100	0	**100**
प्रतापगढ	2	1	1	50	50	**100**	50	50	**100**
योग	**7**	**2**	**5**	**250**	**100**	**350**	**250**	**100**	**350**

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 4.7.2016

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008(2009 का अधिनियम संख्यांक 12), राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 32) एवं राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 33) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80–एल–1 दिनांक 12–02–81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जावेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

1. जहां भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर की जानी हो, वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जावेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।
2. जहां भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जानी हो, वहां अनुसूचित खण्ड के लिए रिक्तियां प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी, जो जिलों के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित

जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। अनुसूचित क्षेत्र की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

3. जहां भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जानी हो, वहां अनुसूचित क्षेत्र के लिए रिक्तियां प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी, जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जायेंगी एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्तियों पर किसी भी जाति या वर्ग के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी का योग्यता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जायेगा, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी वर्ग से संबंधित हो।

4. यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों तो सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर किसी जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और उस जिले/उपखण्ड/विकास खण्ड में अनुसूचित जनजाति का योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों/विकास खण्डों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां भरी जायेंगी ताकि 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण रखे जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

5. राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर अनुसूचित खण्डों की रिक्तियों से भिन्न राज्य/जिले की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 5 प्रतिशत अथवा समय–समय पर प्रवृत्त आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेंगी।

स्पष्टीकरण :– अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं।

ये निर्देश दिनांक 16–06–2013 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

ह0/–
(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान
(प. [illegible]/क 2/91/[illegible])

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

27/2016

4

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 4.7.2016

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूं कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 12) एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गयी अधिसूचनाओं एवं आदेशों व निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2)80–एल–1 दिनांक 12–02–81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में, राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

ह0/–
(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान
(क्र. एफ. [illegible]कार्मिक/क–2/[illegible])

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

28/2016

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

प.7 (147)/डीएमई/एके./2016/ 4379 दिनांक 26.6.2016

आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा में आदेश क्रमांक प.6 (2) एमई/ग्रुप–1 / 94 पार्ट–1 दिनांक 31.8.1998 एवं कैबिनेट आज्ञा 04.05.1999 के अनुसरण में सम्पूर्ण राज्य में जनजाति वर्ग के लिये अनुसूचित जनजाति को देय कुल आरक्षण 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है. इसी के अनुरूप निम्नांकित पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश परीक्षाओं में सम्पूर्ण राज्य में जनजाति वर्ग के लिये अनुसूचित जनजाति को देय कुल आरक्षण 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित किया जाने का प्रावधान एतद् द्वारा किया जाता है–

1. मेडीकल एवं डेन्टल स्नातकोत्तर कोर्सेज (एम.डी./एम.एस/ डिप्लोमा एवं एम.डी.एस.)
2. समस्त नर्सिंग कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।
3. समस्त पैरा मेडिकल कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।
4. समस्त फार्मेसी कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।
5. समस्त फिजीयोथेरेपी कोर्सेज (स्नातक /स्नातकोत्तर/डिप्लोमा)।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ–6(58) चि.स्वा./ग्रुप–3/2000 दिनांक 19.2.2001 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में स्थित ए.एन.एम./जी.एन.एम. के संस्थानों में अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिये लागू की गई व्यवस्था को यथावत रखा जावे।

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री राज. सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज. सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
6. निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर ।
7. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
8. अति० निदेशक (प्रशा०) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
9. अति० निदेशक (एकाई०) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
10. रजिस्ट्रार, राजस्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/कोटा /अजमेर/ बीकानेर/ उदयपुर/झालावाड/आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साईन्सेज/ आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्सेज
12. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी विश्वविद्यालय.....

डॉ. एस.के. सोनी
अति. निदेशक (चि.शि.)

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक F1(6)त०शि०/99 जयपुर, दिनांक 11.7.16

आदेश

विषय– अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य में स्थित समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक/एम.सी.ए./प्रबन्धकीय आदि शैक्षणिक संस्थानों में संचालित समस्त सर्टिफिकेट स्नातक एवं स्नातकोत्तर में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा– बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है। उन सभी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होगें –

"राज्य में स्थित समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों यथा–इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक/प्रबन्धकीय/एम.सी.ए. आदि में संचालित सर्टिफिकेट, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80–एल–1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्यधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

यह आदेश विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 15.09.2011 के अतिक्रमण में जारी किया गया है तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(6)त.शि./99 दिनांक 19.06.2013 से राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा के संबंध में जारी आदेश यथावत लागू रहेगें।

स्पष्टीकरण– "अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है, का स्पष्टीकरण शामिल करावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा उक्त व्यवस्था आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

आज्ञा से

(राजहंस उपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. 10 (6) शिक्षा–4/2007 जयपुर, दिनांक: 04/07/2016

आदेश

विषय:–अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के निवासियों को राज्य में स्थित समस्त कॉलेज शिक्षा संस्थाओं (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में संचालित समस्त व्यावसायिक एवं अन्य प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों आदि में संरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा एवं संघ पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा–बी.एड./एम. एड./बीपी.एड./शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण लागू है, उन सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के निवासियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होंगे:–

" राज्य में स्थित समस्त उच्च शिक्षा विभाग संबंधी प्रवेश परीक्षाओं एवं समस्त उच्च शिक्षा संबंधी संस्थाओं (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा–एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.बी.ए., बी.बी.ए. एवं अन्य प्रबन्धकीय पाठ्यक्रम होटल मेनेजमेंट, बायो टेक्नोलोजी की स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री स्नातक डिप्लोमा तथा अन्य सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज में अनुसूचित जनजाति वर्ग लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत (अर्थात 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19 (2) 80–एल–1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति निवासियों के लिए आरक्षित रखे जायगें"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्यधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों से भरे जावेगें।

उक्त प्रावधान के तहत केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी ही पात्र होंगे तथा "अनुसूचित क्षेत्र के निवासी" से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों एवं विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण–पत्र धारक से है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा उक्त व्यवस्था आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

आज्ञा से

(राजहंस उपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा

D:/general letter/Gehlot

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त टीएडी, उदयपुर।
8. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा / डूंगरपुर / प्रतापगढ़ / उदयपुर / सिरोही।
9. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
11. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
13. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
14. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
15. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
16. कुलसचिव, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
17. कुलसचिव, प. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
18. कुलसचिव, महाराजा सूरज मल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
19. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
20. कुलसचिव, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
21. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

D:/general letter/Gehlot

राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एंव उद्यमिता विभाग

क्रंमाक : प.( ) त.शि./कौनिउ/2016 दिनांक :04/07/16.

F1(6) त.शि./1999. – :: आदेश :: –

विषय :– सत्र 2016–17 से अनुसुचित जनजाति योजना क्षेत्र के स्थानीय जनजाति युवाओं को राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के विभिन्न पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % आरक्षण को सम्पूर्ण राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के यू.ओ. नोट कमांकःPS/PSTAD/16/537 दिनांक 22.06.2016

संदर्भित यू.ओ. नोट के क्रम में निर्णय लिया गया है कि राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजन (क्राफ्टसमैन ट्रैनिंग स्कीम) के विभिन्न पाठ्यक्रमो (नियमित एंव स्ववित्तपोषित योजना) में प्रवेश हेतु निर्धारित 12 % आरक्षण में से 45 % आरक्षण को सत्र 2016–17 से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओ के लिए आरक्षित किया जाना है। उक्त निर्णय के अनुसार आरक्षण के प्रावधान इस प्रकार रहेगें।

1. राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % स्थान आरक्षित रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 % आरक्षण के अध्याधीन ही देय होगा। सीटे खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो से भरी जा सकेगी । इसके पश्चात् भी स्थान रिक्त रहने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियो से योग्यता क्रम अनुसार प्रवेश लिये जावेंगे।
2. यह आदेश सहरिया जाति के युवाओं के लिये खोली गई औ.प्र.संस्थान शाँहबाद जिला बारा एंव देवनारायण योजनान्तर्गत खोली गयी औ.प्र.संस्थान बानसूर जिला अलवर, सैपउ जिला धौलपुर, झालरापाटन जिला झालावाड, नादौती एंव सपोटरा जिला करौली एंव खण्डार जिला सवाई माधोपुर पर एंव अल्पसंख्यक के हितार्थ औ.प्र.संस्थान टौंक में मैकेनिक ट्रैक्टर एंव औ.प्र.संस्थान जैसलमेर में मेकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय पर लागू नहीं होंगे।

3. इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र में औ.प्र.संस्थानो में मांग – 30 के तहत केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लिये संचालित किये जा रहे व्यवसायो में पूर्व अनुसार आरक्षण यथावत रहेगा। अनुसूचित क्षेत्र के औ.प्र.संस्थानो में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित व्यवसाय/एकक में अनुसूचित जनजाति हेतु निर्धारित 12 % आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियो के लिए 45 % स्थान आरक्षित रहेगा।
4. उक्त आदेश केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी ही पात्र होंगे। तथा अनुसूचित क्षेत्र के निवासी से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी आदेशों / निर्देशो एवं विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण पत्र धारक होंगे।

सत्र 2016–17 से राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में उपरोक्तानुसार आरक्षण के प्रावधानो के अनुरूप ही प्रवेश कार्य करवाना सुनिश्चित किया जावे।

संयुक्त सचिव,
तकनीकी शिक्षा

क्रमांक : प.( ) त.शि./कौनिउ/2016
दिनांक : 04/07/2016

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्रालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर ।
7. जिला कलैक्टर बांसवाडा/डुंगरपुर/प्रतापगढ/उदयपुर/सिरोही।
8. निदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त सचिव,
तकनीकी शिक्षा

राजस्थान सरकार
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

क्रमांक एफ 3 (35) कृषि / ग्रुप-2 / 2016

जयपुर दिनांक : 4/7/2016

आदेश

विषय:- कृषि शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति वर्ग लिए सीट आरक्षित करने बाबत।

राजस्थान राज्य में वर्तमान में कृषि शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु संचालित संस्थाओं में शिक्षण प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति वर्ग को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति वर्ग को 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाने का प्रावधान है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प. 6(2)एमई / ग्रुप-1 / 94 पार्ट-1 दिनांक 31.8.98 एवं मंत्रिमण्डल आज्ञा दिनांक 4..1999 द्वारा पी.एम.टी. में अनुसूचित जनजाति को देय 12 प्रतिशत आरक्षण 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया है। इसी तरह शिक्षा विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प. 10(6)शिक्षा-1 / 2007 दिनांक 19.2.2010 द्वारा राज्य में शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में एम.एड. बी.एड. शिक्षा शास्त्री एवं एस.टी.सी. के लिए स्वीकृत सीटों पर जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लिए 45 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के विकास तथा इस वर्ग के आशार्थियों को कृषि शिक्षा तथा कृषि आधारित व्यवसाय के क्षेत्र में शिक्षित / प्रशिक्षित कर आगे लाने के उद्देश्य लिए राज्य सरकार द्वारा उक्त विभागों के अनुरूप यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि कृषि शिक्षा संबंधी प्रवेश परीक्षाओं एवं राज्य में संचालित समस्त कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी, मत्स्य पालन, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, गृह विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी आदि संस्थाओं में स्नातक डिग्री, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, विद्या वाचस्पति, कृषि प्रबन्ध एवं सर्टीफिकेट आदि पाठ्यक्रमों में राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग का देय 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग लिए आरक्षित होंगे। इस वर्ग की सीटें खाली रहने की स्थिति में अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी।

उक्त प्रावधान केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ही लागू होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवासी से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों / निर्देशों एवं विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण पत्र धारक से है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(नील कमल दरबारी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1- निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री राजस्थान।
3- विशिष्ट सहायक, कृषि मंत्री राजस्थान।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
5- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
6- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7- निजी सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
8- निजी सचिव समस्त कुलपति / कुल सचिव, कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान
9- समन्वयक एवं अधिष्ठाता, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
10- रक्षित पत्रावली

4/7/2016

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक : पं.6(15)पपा/2016 जयपुर, दिनांक 14 JUL 2016

आदेश

विषय:– अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य में स्थित समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवा पूर्व पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी संस्थाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, पशुधन सहायक डिप्लोमा एवं बी.एफ.एस.सी. डिग्री प्रवेश पूर्व परीक्षण में आरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा– बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड/शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हैं, उन सभी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होंगे –

"राज्य में स्थित समस्त सेवा पूर्व पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी संस्थाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, पशुधन सहायक डिप्लोमा एवं बी.एफ.एस.सी. डिग्री प्रवेश पूर्व परीक्षण में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण मे से 45 प्रतिशत (अर्थात् 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80–एल–1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेगें"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्याधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियो से भरा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण– **"अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो, उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी, 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहें है।**

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश/निर्देश के अतिक्रमण में जारी किया गया है। उक्त व्यवस्था आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

आज्ञा से

(कुजीलाल जोशी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, कृषि एवं पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
8. आयुक्त, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. निजी सचिव, कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर।
11. जिला कलक्टर, बांसवाडा/ डूंगरपुर/प्रतापगढ/उदयपुर एवं सिरोजाही।
12. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक:– प. 13(20)कार्मिक/क–2/91पार्ट जयपुर, दिनांक: 21.05.2013

निर्देश

इस विभाग के समसंख्यक निर्देश दिनांक 12.09.2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में निवासित सहरिया आदिम जाति जंगलों में दुर्गम स्थानों में निवास करती है इसलिये काफी पिछड़ी हुई है व सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त रहते हैं । अतः बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जन जातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी । शेष 51 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी।

राज्य के बारां जिले की समस्त तहसीलों में निवास करने वाली सहरिया आदिम जाति दुर्गम स्थानों पर निवास करती है। इन सहरिया परिवारों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक स्तर काफी पिछड़ा हुआ है। सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त रहते हैं। अतः राज्य सरकार यह आदेश देती है कि बारां जिले की समस्त तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जन जातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत, पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी । शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

1– यदि भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर हो वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की समस्त तहसीलों की स्थानीय सहरिया जाति के लिए आरक्षित की जायेगी ।

2– यदि भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जावे वहां 25 प्रतिशत रिक्तिया बारां जिले की समस्त तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।

3– यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जावे तो बारां जिले की समस्त तहसीलों की कुल जनसंख्या एवं राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर रिक्तियां प्रकल्पित की जाकर उन रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की समस्त तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी ।

4- यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो तो राज्य की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जन जातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी ।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान,जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान,जयपुर ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान,जयपुर ।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर ।
6. उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष ।
8. मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 84/2013 दिनांक 06.05.13 के क्रम में ।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:-

1. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा,जयपुर ।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर ।
4. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर /जोधपुर ।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव

34/2013

सामुदायिक भवन